अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेख सप्ताह
23 से 29 अक्तूबर, 1979

भारत में अभिलेख

राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

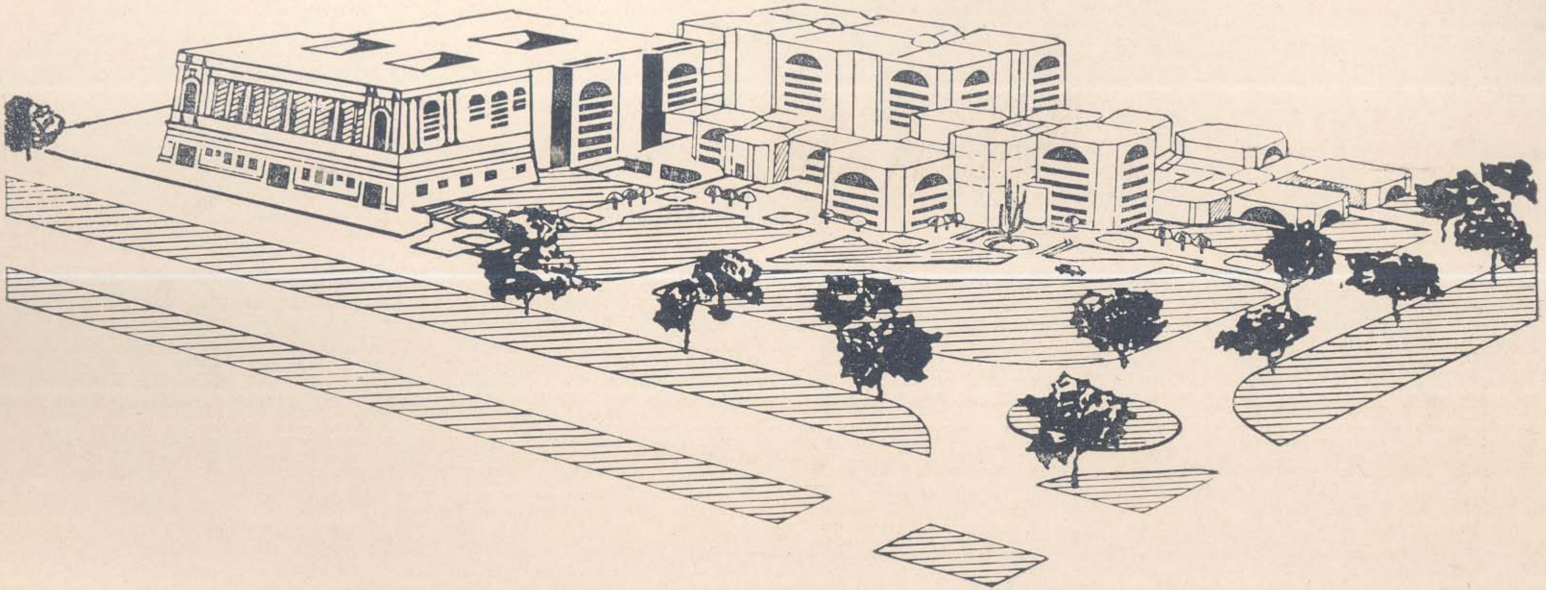

राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन तथा उसकी विस्तार योजना

अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख सप्ताह
(23 से 29 अक्तूबर 1979)

भारत में अभिलेख

राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

प्रस्तावना

इस वर्ष सम्पूर्ण विश्व में जनसाधारण को समझाने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेख सप्ताह का समारोह मनाया जा रहा है। अभिलेखीय संगठनों ने मानव जाति की स्मृति को व्यवस्थित रखने में सक्रिय भूमिका अदा की है। हमारे देश में राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय अभिलेखागार के अनेक राज्य अभिलेखागार हैं जो इन समारोहों में भाग ले रहे हैं।

इन देशव्यापी समारोहों के भाग के रूप में राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा इस स्मारिका को जारी किया जा रहा है जिसका उद्देश्य शोधकर्ताओं और जन साधारण को देश के अभिलेखीय संगठनों के विकास और उनके द्वारा निभाए गए कर्त्तव्य से परिचित कराना है कि उनके द्वारा अभिलेखीय निधि को भावी पीढ़ियों के लिए परिरक्षित ही नहीं किया जाता अपितु दक्ष प्रशासन एवं ऐतिहासिक अनुसंधान संबधी उद्देश्यों के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है।

यह आशा की जाती है कि इस स्मारिका को विवेकी पाठकगण रुचिपूर्ण होने के साथ ही साथ सूचनात्मक भी पायेंगे। इस स्मारिका को तैयार करने में मुझे डा० एन० एच० कुलकर्णी, अभिलेख सहायक निदेशक और श्री पी० के० घोष, अभिलेखाधिकारी से सहयोग प्राप्त हुआ है।

8 अक्टूबर, 1979
नई दिल्ली

एस० ए० आई० तिरमिजी
अभिलेख निदेशक
भारत सरकार

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार जिसे पहले इम्पीरियल रिकार्ड डिपार्टमेंट के रूप में जाना जाता रहा, उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक के प्रथम वर्ष में कलकत्ता में सामान्यतया अपने अस्तित्व में आया। यद्यपि इसके जन्म से कम से कम तीन दशकों से पहले इस योजना की कल्पना की गई थी। श्री सेडामेन, सिविल आडिटर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1860 की अपनी रिपोर्ट में इसकी आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यालयों में रोजाना काम में लाए जाने वाले और गौण अभिरुचि के कागज-पत्रों को नष्ट करके और सभी मूल्यवान अभिलेखों को 'ग्रैन्ड सेन्ट्रल आर्काइव्ज' में स्थानान्तरित करने की हिमायत की। तदनुसार आडिटर की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए 1861 में एक रिकार्ड समिति का गठन किया गया।

समिति ने सरकारी अभिलेखों के पर्यवेक्षण, छटनी और गठन के अपने असली काम पर तो ध्यान नहीं दिया। एक केन्द्रीय अभिलेख भंडार बनाने का विचार भी उसने त्याग दिया और उसके बदले खुद को अभिलेख प्रकाशन कार्यक्रम में लगाए रखा जिसके परिणाम में निम्नलिखित प्रकाशन हुए—जे-लांग्स का **सेलेक्शन्स फ्राम अनपब्लिश्ड रिकार्ड** (1748-57), जे० टॉलबायज व्हीलर की होम और फारेन डिपार्टमेंट संबंधी दो रिपोर्ट और उनकी **अर्ली रिकार्डस आफ ब्रिटिश इण्डिया**, और स्काट स्मिथ का केलेन्डर आफ इंडियन स्टेट पेपर्स (सीक्रेट सीरीज 1774-75)। इन प्रकाशनों ने अपने खुद के तरीके से, भारत में ब्रिटिश राज के लिए औचित्य दिया परन्तु जिस उद्देश्य के लिए समिति का गठन किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया।

उसी बीच एलफिन्सटन कालेज, बम्बई के अंग्रेजी इतिहास के प्रोफेसर जी० डब्ल्यू. फारेस्ट ने अपनी निजी दिलचस्पी और बम्बई रिकार्ड कार्यालय में कार्य करने के कारण अभिलेखपाल के रूप में पहले ही से सम्मान अर्जित कर लिया था। परिणामस्वरूप उन्हें 1889 में भारत सरकार के विदेश विभाग के अभिलेखों की जांच करने की विशेष ड्यूटी के लिए आमंत्रित किया गया।

उस वर्ष, 17 अगस्त की उनकी रिपोर्ट में फारेस्ट ने उस स्थिति के लिए जिस हालत में विभिन्न विभागों में विशेषाधिकारों के साक्षी स्वरूप प्रलेखों (म्युनिमेन्ट्स) के कमरों में उन अभिलेखों को रखा गया था, खेद प्रकट किया। उन्होंने इस बात को नोट किया कि बहुत से प्रलेख 'अज्ञानता और विभिन्न अभिरक्षाओं, आर्द्रता और चीटियों' द्वारा पहले ही से नष्ट कर दिए गए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रशासन संबंधी सभी अभिलेखों को केन्द्रीय भंडार में स्थानान्तरित करने की अत्यावश्यकता को स्पष्ट किया। वाइसराय कौंसिल के बहुमत ने भी फारेस्ट की सिफारिशों का समर्थन किया।

इम्पीरियल रिकार्ड डिपार्टमेंट—11 फरवरी 1891 की बात थी जब भारत सरकार ने फारेस्ट को भारत सरकार के अभिलेखों के प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए राज्य सचिव से सम्पर्क किया और अनुमोदन मिलने पर उस पद पर उनकी यथावत नियुक्ति की गई। फारेस्ट के कर्त्तव्यों में सभी विभागों के अभिलेखों की जांच, स्थानान्तरण और सूची बनाने के कार्य सम्मिलित थे और विभिन्न विभागीय पुस्तकालयों के बदले एक केन्द्रीय पुस्तकालय का गठन करना था। 19 जून 1891 तक फारेस्ट ने होम डिपार्टमेंट के अभिलेखों के स्थानान्तरण और पुस्तकालय का गठन कर लिया। धीरे-धीरे अन्य कार्यालयों के अभिलेखों को भी इम्पीरियल रिकार्ड विभाग में जमा कर दिया गया, जिन्हें कलकत्ता में सरकारी आवास के सामने नये इम्पीरीयल सचिवालय भवन के भू-तल के आधे दर्जन कमरों में से खोजा गया था।

फारेस्ट ने साधारण स्टाफ के साथ अपना कार्य प्रारम्भ किया जिसमें अभिलेखागार के लिए एक सहायक, 8 लिपिक, 18 दफ्तरी और कुली तथा पुस्तकालय के लिए 2 मुन्शियों और 2 पंडितों का एक अस्थायी स्टाफ था। इस स्टाफ के साथ उन्होंने 1899 तक निम्नलिखित अभिलेखों की सीरीज उनके मूल के अनुसार और साथ ही साथ कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने संबंधी कार्य को पूरा किया: होम (1752-1879), फारेन (1764-1829), मिलिटरी बोर्ड (1777-1858), मिलिटरी (1786-1893), मेडीकल बोर्ड और सर्जन जनरल (1845-59) और पब्लिक वर्क्स (1850-71)। फारसी और अन्य प्राचीन भाषाओं में भारतीय शासकों के बीच विदेश विभाग के पत्र व्यवहार संबंधी यह एक मूल्यवान वृद्धि थी, कुछेक चमकीले, सुनहरी आभा वाले दस्तावेज जो भारतीय सुलेख के उत्कृष्ट नमूने हैं।

परन्तु फारेस्ट मुख्यत: एक ऐतिहासिक अन्वेषक था। उनके भीतर का इतिहासकार एक अभिलेखाधिकारी से कहीं उत्तम था और अपने कार्यकाल के लगभग आधे दशक तक उन्होंने विदेश में बिताया और इंग्लैंड में भंडारों के प्रशासन का न केवल

अध्ययन किया परन्तु ऐतिहासिक अनुसंधान भी किया जिसका प्रकाशन भारत-ब्रिटिश इतिहास की स्रोत-पुस्तकों की एक सीरीज के रूप में हुआ। यह तो ए० टी० प्रिंगले थे जिन्होंने उनकी ओर से स्थानापन्न रूप से उनकी छुट्टी के दौरान कार्य किया और तब तक के अधिग्रहण किए गए कागजपत्रों की प्रेस लिस्ट तैयार करने का समय लगने वाला काम प्रारम्भ किया।

फारेस्ट के उत्तराधिकरी एस० सी० हिल ने अभिलेखों का प्रकाशन कार्य आगे बढ़ाया और काफी मात्रा में विषय सामग्रियों को खोजा या निकाला जिन्हें 1756-57 **में बंगाल** विषयक उनके चिरस्थायी ग्रंथों के एक केन्द्र के रूप में संजोया गया। उन्होंने विभाग के लिए कलकत्ता गजट का एक पूरा सेट और 1723-1842 के बीच कलकत्ता के अनेक पुराने मानचित्रों को प्राप्त किया। अनुसंधान प्रकाशनों के रूप में अपने मूल्यवान कार्य के अतिरिक्त हिल ने संदर्भ माध्यम की तैयारी करने में भी बराबर की अभिरुचि ली। उन्होंने फारेस्ट डिपार्टमेंट (1756-62) के पूर्व अभिलेखों का सार और सेलेक्ट कमेटी (1756-60) की कार्यवाहियों के एक केलेन्डर का संकलन किया। मार्च 1754 से 1757 तक की सरकारी कार्यवाहियों की प्रेस लिस्टिंग उनके द्वारा तैयार की गई जो कम विस्तार और साधारण योजना के अन्तर्गत पूरी की गई थी।

उन्होंने अपनी अभिरक्षा में रखे कमजोर कागजपत्रों के पुन:स्थापना करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। मुड़े हुए प्रलेखों की संपूर्ण सीरीजों को समतल करने संबंधी कार्यक्रम शुरू किया गया और जब आवश्यक हुआ उनकी मरम्मत की गई तथा उन्हें डाकेट कवरों में रखा गया। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1900 में इंडिया आफिस द्वारा सिफारिश किए गए मरम्मत कार्य के लिए ट्रेसिंग पेपर के उत्कृष्ट गुण से परिचित कराया। इस प्रकार जब हिल ने डा० सी० आर० विल्सन (18 मार्च 1902) को कार्य-भार सौंपा तब तक इम्पीरीयल रिकार्ड डिपार्टमेंट ने मूलरूप से विघटित प्रलेखों के पुन: स्थापना और संदर्भ माध्यम की तैयारी दोनों में प्रगति कर ली थी कि जबकि प्रभारी के शोध संबंधी प्रकाशन दुनिया के किसी भी रिकार्ड आफिस के लिए गौरव प्रदान कर चुके होते विल्सन का कार्यकाल बीमारी के कारण कम हो गया था और वे 24 मई 1904 को इंग्लैंड चले गए। उनके उत्तराधिकारी एन० एल० हालवर्ड ने उनके कार्य को जारी रखा जिन्होंने **लिस्ट आफ दि होम डिपार्टमेंट रिकार्डस** (1749-1854) का प्रकाशन किया। यद्यपि विल्सन ने फारसी पत्र व्यवहार को क्रमबद्ध करने के प्रस्ताव की चर्चा चलायी थी उस कार्य को वस्तुत: ई० डेनीसन रॉस द्वारा किया गया जो खुद एक महान फारसी शोधकर्ता और भाषा विज्ञानी थे। उसके द्वारा **केलेन्डर आफ पर्शियन कारसपान्डेन्स** (1754-69) के दो ग्रंथों का प्रकाशन चार मौलवियों की सहायता से

किया गया, जिस उद्देश्य के लिए उन्हें भरती किया गया था। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान विभाग की अभिरक्षा में रखे अभिलेखों की एक संपूर्ण विषय सूची तैयार करने का एक सुव्यवस्थित प्रयास किया गया था। इस प्रकार 18वीं और 19वीं शताब्दियों की विभिन्न अवधियों को सम्मिलित करते हुए फारेन, मिलिटरी, फाइनान्स, होम तथा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटों की सूचियां प्रकाशित की गई। उसी प्रकार फारेन डिपार्टमेंट से इम्पीरीयल रिकार्ड आफिस को मूल संधिपत्रों, विनियोजनों इत्यादि की सूची तैयार करने का कार्य स्थानान्तरित किया गया जिसे 3 ग्रन्थों में पूरा किया गया। रॉस के ही कार्यकाल में फिर से इम्पीरीयल रिकार्ड विभाग जो होम डिपार्टमेंट के अधीन उस समय तक था, नये सृजित शिक्षा विभाग (1910) को स्थानान्तरित किया गया। रॉस के कर्त्तव्यों में न केवल प्राचीन अभिलेखों को फाइल में रखना, सूची तैयार करना और परिरक्षण सम्मिलित था परन्तु विभिन्न विभागों से पूछी गई सभी पूछताछों का जवाब देना भी था, इसमें भारत सरकार की संरक्षकता और पांडित्यपूर्ण प्रकाशनों के वितरण से संबंधित अभिलेखों और पत्र व्यवहार में खोज करना भी शामिल था। रॉस भारतीय शिक्षा सेवा के उल्लेखनीय व्यक्तियों में से अंतिम मोड़ था जिसने केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय को निर्मित करने के लिए बहुत अधिक योगदान दिया।

ए० एफ शोफील्ड जिसने 1915 में रॉस का उत्तराधिकार पाया एक शोधकर्ता से अधिक एक अभिलेखाधिकारी था। अभिलेखों का परिरक्षण करने के लिए उसने ट्रेसिंग पेपर से प्रलेखों की मरम्मत करने की पुरानी विधि को शिफान से मरम्मत करने में बदल दिया। वह कभी-कभी अपने खुद के हाथों से भुरभुरे प्रलेखों की मरम्मत करता था। उसने परिरक्षण शाखा को एक ठोस आधार दिया और मेन्डरों को तकनीकी ढंग से मरम्मत करने के लिए प्रशिक्षित किया। इसने भारत के अन्य अभिलेखाधिकारियों का सराहनीय ढंग से ध्यानाकर्षण किया और उन्होंने इम्पीरीयल रिकार्ड डिपार्टमेंट को पूरे विश्वास के साथ न केवल तकनीकी सेवाओं के लिए परन्तु उनके स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने की ओर भी आकर्षित किया। श्री पी० दास जो विभाग के अधीक्षक थे उन्हें 1916 में बंगाल सरकार के अभिलेख रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अभिलेखीय कार्यकलापों की कोई ऐसी शाखा नहीं थी जिसे शोफील्ड ने अछूता या अविकसित छोड़ा था। उन्हीं के कार्यकाल में 1800 तक की पब्लिक डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग की प्रेस लिस्टिंग पूरी की गई थी। उन्होंने एक अनुपूरक ग्रन्थ के रूप में वृद्धि की जिसमें तब के नियमित सीरीजों के प्रकाशन के निबंध प्रकाश में लाए गए। सीक्रेट डिपार्टमेंट आफ इंसपेक्शन (1770-87) और सीक्रेट डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग (1763-75) के पेपर्स के लिए भी प्रेस लिस्ट तैयार की गई। क्रमबद्ध करने का काम न केवल जारी रखा गया परन्तु सरकारी प्रेस लिस्टों की संपूर्ण सीरीजों की एक समेकित सूची पर कार्य किया गया। शोफील्ड स्वयं सूची को तैयार करने वाले विशेषज्ञ थे जिन्होंने सूची

तैयार करने के लिए नियम निर्धारित किए और पेम्फलेट के रूप में उनको प्रकाशित किया। उन्होंने स्टाफ नियम पुस्तक का भी सकलन किया। यहां यह उल्लेखनीय था कि उनके पदनाम का परिवर्तन प्रभारी अधिकारी से अभिलेख रक्षक हो गया था। यदि शोफील्ड के पूर्वाधिकारियों ने विभाग को शैक्षिक विशिष्टता प्रदान की थी तो उन्होंने बहुत कम आडम्बर के साथ परन्तु तकनीकी दक्षता का अधिक अनिवार्य गुण देकर विभाग को सम्पन्न बनाया था।

शोफील्ड के कार्यकाल के अंतिम समय की बात थी जब भारत सरकार ने 1919 में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की नियुक्ति, ऐतिहासिक अध्ययन, संदर्भ माध्यम के संकलन, अभिलेखागार में अवाप्त किए जाने वाले सरकारी अभिलेखों और ऐतिहासिक अनुसंधान में भारतीय विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने सम्बन्धी जैसे प्रश्नों पर परामर्श देने के लिए की। अभिलेख रक्षक (बाद में अभिलेख निदेशक) का कार्य आयोग के सचिव के रूप में कार्य करना था।

शोफील्ड के उत्तराधिकारियों के रूप में आर० ए० ब्लेकर, जे० एम० मित्रा, ए० एफ० एम० अब्दुल अली, और डा० एस० एन० सेन थे। ब्लेकर का कार्यकाल थोड़ा ही था जिसमें कोई प्रमुख उपक्रम नहीं किया गया परन्तु भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा सुझाए गए विभाग के प्री-म्युटिनी रिकार्डस के सम्बन्ध में एक पुस्तिका (हैन्डबुक) तैयार करने का प्रारम्भिक कार्य शुरू किया गया। उनके कार्य-काल ही में म्युटिनी पेपर्स की प्रेस-लिस्टिंग भी पूरी की गई। राय बहादुर जेमिनी मोहन मित्रा पहले भारतीय थे जिन्हें इम्पीरीयल रिकार्ड का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें संभावित दीमक के खतरे का उन्मूलन करने के लिए प्रभावी उपाय करना था। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार उन्होंने सीक्रेट और सेपरेट डिपार्टमेंट रिकार्ड्स की प्रेस लिस्टों का और चलती आ रही चन्द्र नगर और चिनसुरा कार्यवाहियों का संशोधन किया तथा उन्हें नया रूप दिया। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत सरकार और बंगाल के बीच के अभिलेखों के गलत विभाजन के संबंध में जांच पड़ताल की थी और जब बाद में उसे लेफ्टि. गवर्नर के प्रांत के रूप में गठित किया गया था तब उन्होंने अलग पड़े हुए कागजातों को उनकी उपयुक्त मूल सीरीजों के साथ फिर से संगृहीत किया। अब्दुल अली इस कार्यालय में 1922 से 1938 तक लगभग 17 वर्षों तक रहे जो अब तक के लेखे में सबसे लंबी अवधि रही। यह उनका ही मिलनसार व्यक्तित्व था जिसके कारण भारतीय अभिलेख आयोग को पहले काफी लोकप्रियता मिली परन्तु उनके रास्ते में दो गंभीर कठिनाइयां बाधा के रूप में थीं—पहली सन् तीस में होने वाली मंदी जिसके परिणाम में बजट और कार्मिक वर्ग में सशक्त रूप से छंटनी की गई जिसके फलस्वरूप विभाग के कार्यकलापों में गंभीर रूप से कटौती हो गई। दूसरे विभाग का

खुद ही नई दिल्ली में स्थानान्तरण किया जाना था। राजधानी का पहले ही कलकत्ता से 1911 में नये महानगर में स्थानान्तरण किया जा चुका था और यह अपरिहार्य था कि सरकारी अभिलेख उनके साथ ही जावेंगे। परन्तु वर्तमान भवन अभिलेखों को ग्रहण करने के लिए केवल 1926 में ही पूरा किया जा सका। यह कार्यालय 1 नवम्बर 1926 को नई दिल्ली में प्रारम्भ किया गया। संपूर्ण सम्पत्ति के स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया यद्यपि धीमी और सावधानी की थी क्योंकि स्थानान्तरण के दौरान पुराने अभिलेखों को कोई भी क्षति होने की संभावना से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। यह स्थानान्तरण कार्य मार्च 1937 तक पूरा किया गया। परन्तु अभिलेख संस्थापन के अस्थायी द्विभाजन करने के कारण इम्पीरीयल रिकार्ड विभाग के सामान्य कार्य में किसी हद तक अव्यवस्था फैल गई।

1937 से भारत सरकार के अभिलेखों को एक स्थायी आवास नई दिल्ली में मिला और इम्पीरियल रिकार्ड्स डिपार्टमेंट निश्चित रूप से अपने अनुसूचित कार्यों के साथ स्थिर हो गया। डा० सुरेन्द्र नाथ सेन (1939-49) के प्रबन्ध काल के उस दशक में जिसका उत्तराधिकार कुछ समय के अंतराल के बाद अब्दुल अली को मिला, कार्य-कलापों में सम्पूर्ण रूप से अभिविन्यास करने का सबूत मिला। डा० सेन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक यह थी कि 1940 तक अभिलेखागार के प्रवेशद्वार सभी विशुद्ध ज्ञान लेने वालों के लिए खोल दिए गए। सरकारी अभिलेखों की पहुंच के लिए निर्धारित किए गए नियमों में आगे 1942 में और ढील दी गई और 1902 से पूर्व के सभी सरकारी अभिलेखों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराया गया। इन अभिलेखों का प्रयोग सफलता से कर सकने के लिए एक विस्तृत संदर्भ माध्यम का होना बहुत आवश्यक हो गया और एक मार्गदर्शी प्रायोजना के रूप में भू राजस्व अभिलेखों (1830-54) से संबंधित विस्तृत सूचकांक के दो ग्रन्थ प्रकाशित किए गए। इनका अच्छा स्वागत किया गया। इस तरह सिलेक्ट कमेटी और सीक्रेट डिपार्टमेंट रिकार्ड्स (1756-80) की अन्य सूची तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया। अनुसंधान करने वाले विद्यार्थियों के लाभ के लिए 1940 में भारत सरकार और योरोप से संबंधित अभिलेखों तक पहुंच करने से संबंधित नियमों को विनियमित करने वाली एक नियमपुस्तिका को संकलित करके भी प्रकाशित किया गया। फारसी पत्र-व्यवहार को भी क्रमबद्ध करने का कार्य तेजी से किया गया और दो ग्रन्थ और संकलित किए गए। इन ग्रन्थों में सुपरिष्कृत प्रस्तावना और प्रचुर टिप्पणियों के साथ गुणात्मक नवीनता भरी गई थी।

शोधकर्ताओं को कुछ दूरी से सेवा प्रदान करने के लिए तथापि एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी प्रकाशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फोर्ट विलियम—एण्ड अथोरिटीज एवं इंडिया हाउस इन लन्दन (1748-1800) के बीच हुए संपूर्ण पत्र-व्यवहार को 21 ग्रन्थों में और प्राचीन भाषाओं के प्रलेखों के 7 ग्रन्थों के प्रकाशन का विस्तार-

पूर्वक कार्य विश्वविद्यालयों और विज्ञ संस्थानों के सहयोग से किया गया। इन अकादमी निकायों को अंग्रेजी अभिलेखों से चुने गए प्रलेखों के 10 ग्रन्थों के सम्पादन में भी विभाग को सहयोग प्रदान करना था। डा० सेन समान रूप से निष्पादन द्वारा संरक्षण की समस्या का हल चाहते थे। लेमीनेटिंग हाइड्रयोलिक प्रेस के संस्थापन से बड़े पैमाने पर जीर्ण और भुरभुरे प्रलेखों की मरम्मत संभव हो सकी और निर्वात धूमन कक्ष जिनसे कीड़ों द्वारा खराब किए गए प्रलेखों को तेजी से कीटाणुनाशक करने की सुविधा हुई और मरम्मत करने की वैज्ञानिक तथा मशीनी विधियों ने पारम्परिक विधियों का उल्लेखनीय रूप से परिवर्तन कर दिया। उसी प्रकार माइक्रोफोटोग्राफिक प्रयोगशाला की स्थापना से विभाग के मूल्यवान संग्रहों को माइक्रोफिल्म के रूप में संरक्षित करना संभव हुआ। एक और उपाय जो सेन के दृष्टिकोण और भविष्यदृष्टि पर प्रकाश डालता है वह एक प्रयोगशाला की स्थापना करना है जो विशेष रूप से आवेशपूर्ण परिस्थिति में संरक्षण करने से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान संचालित करने के लिए है। यह एशिया में अपने ढंग की प्रथम है। इस अनुसंधान प्रयोगशाला ने शीघ्र ही कीटनाशी कागज और तालपत्र पांडुलिपियों की मरम्मत की एक विधि का आविष्कार करके खुद को न्यायसंगत सिद्ध कर दिया है।

इन सभी कार्य कलापों से देश में एक और अत्यन्त आवश्यकता सामने आई जो प्रशिक्षित अभिलेख कार्मिक के बारे में थी। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए पहला कदम यह उठाया गया कि मौजूदा अप्रशिक्षित व्यक्तियों के स्टाफ को धीरे-धीरे प्रशिक्षित कर्मचारियों के समूह से जो इतिहास या रसायन शास्त्र में से एक की डिग्री हासिल किए हुए थे और जिन्हें अभिलेखों को वैज्ञानिक तरीके से मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया गया था, बदलना शुरू किया। इस कार्य के लिए अभिलेखीय स्टाफ को पिछली किसी भी व्यवस्था में दिए जाने वाले वेतन के अतिरिक्त अधिक अच्छे वेतनमानों द्वारा सुरक्षा दी गई। अभिलेख रक्षण के इस नये व्यवसाय की वृद्धि को उन्नत करने के लिए अन्य उपाय भी किए गए और 1943 में विभाग में अभिलेख प्रशिक्षण का एक औपचारिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। अभिलेखीय विज्ञान और उसी से संबंधित विषयों पर एक पत्रिका प्रारंभ की गई। जिसमें आत्माभिव्यक्ति के माध्यम से नया व्यवसाय प्रदान करने का उद्देश्य शामिल था।

1946-47 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि केवल भविष्य में जिन राजनैतिक मामलों की आवश्यकता होगी उन्हें छोड़कर भूतपूर्व राजनैतिक विभाग के सभी अभिलेखों की छंटनी की जाए। बाद में सत्ता के हस्तांतरण पर तत्काल ही यू० के० सरकार को उन्हें सौंप दिया गया। समय पर किए गए प्रयासों से यद्यपि इनमें से वहुत अधिक भाग को राष्ट्र के लिए सुरक्षित रखा जा सका। विभाग

के सामने एक विकट चुनौती उस समय आई जब भारत विभाजन के राजनैतिक निर्णय के परिणाम से केन्द्रीय सरकार की संपूर्ण अभिलेखीय संपत्ति को विच्छिन्न करने की धमकी दी गई थी। अन्त में, उस खतरे से भी बचाव किया गया और दोनों उत्तराधिकारी सरकारों के बीच तत्काल एक समझौता किए जा सकने की सम्भावना हुई जिसमें विभाजन द्वारा प्रभावित अभिलेखीय स्नेह की निष्ठा के प्रति आदर करने की सहमति दी गई।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार— स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्द्रीय अभिलेख भंडार ने एक नये युग में प्रवेश किया जिसकी तत्काल प्रतिच्छाया उसके नाम के परिवर्तन पर पड़ी और 30 जून 1947 को इम्पीरीयल रिकार्ड डिपार्टमेंट का नाम बदलकर भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया। इसका असाधारण प्रभाव यह हुआ कि यह भंडार केवल कोलोनियल प्रशासन के अभिलेखों का भंडार गृह ही नहीं रह गया परन्तु पिछली दो शताब्दियों के इंडो-ब्रिटिश अनुभव के सार को निहित करने वाले प्रलेखों के रूप में राष्ट्र की निधि का एक शानदार अभिरक्षक भी था इससे यह संकेत भी मिला कि निश्चित ही अब विभाग को पूरे देश में अभिलेखीय क्षेत्र में एक अधिक गतिमान प्रेरक और सृजनात्मक भूमिका अदा करनी थी। स्वतन्त्रता के बाद विविध विस्तार के साथ उसके कार्य कलाप हुए और अभिलेखीय क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में उसके द्वारा की गई प्रगति संक्षिप्त रूप में नीचे दिए गए अनुसार है—

संपत्ति—भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिरक्षा में सरकारी अभिलेख मानचित्र, निजी कागज पत्र, माइक्रोफिल्में और पुस्तकें रखी हैं।

सरकारी अभिलेख—राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिरक्षा में रखे हुए सरकारी अभिलेखों ने आज 25 किलोमीटर की शेल्फ-जगह को घेर रखा है। हाल के वर्षों में अधिग्रहण किए गए अभिलेखों में विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के अभिलेखों का उल्लेख किया जा सकता है जो भूतपूर्व फारेन और पोलिटिकल डिपार्टमेंट जिसकी पूरे भारत में अनेक एजेन्सियां बिखरी पड़ी थीं, उससे संबंधित हैं, कान्स्टीटुएन्ट एसेम्बली और रिफार्म्स आफिस के कागजपत्र जिनमें देश के संवैधानिक विकास का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत किया गया है और भारतीय आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाले पुराने कलकत्ता और बंगाल बैंकों के कागजपत्र भी हैं।

मंत्रालय संबंधी अभिलेखों की प्रमुख सीरीजों में गृह मंत्रालय के अभिलेखागार और उनके पूर्ववर्ती निकायों(1748-1957) द्वारा प्रभावशाली संग्रह गठित किया गया है। जिसमें 1680 से पहले की तारीख से क्रमानुसार विविध अभिलेखों द्वारा वृद्धि की

गई है। विदेश मंत्रालय के अभिलेख उनके पूर्वाधिकारियों (1756-1950) सहित एक अन्य रुचिपूर्ण सीरीजों के रूप में है जिनमें कूटनीतिक इतिहास के अनेक मुख्य घटकों की जानकारी सन्निहित है। वास्तविक रूप से उनके विविध अभिलेख 1630 से हैं। वित्त मंत्रालय (1811-1948) के भी 1750 से तारीखवार विविध अभिलेख हैं। अभिलेखों की अन्य महत्वपूर्ण सीरीजों में कृषि मंत्रालय और उनके पूर्वाधिकारियों (1871-1948) के साथ ही साथ शिक्षा (1910-51), रेलवे (1905-55), उद्योग (1923-37), श्रम (1921-37) और रक्षा (1771-1938) के अभिलेख भी हैं। मंत्रालय के अतिरिक्त जिन कार्यालयों के कागजपत्र हैं उनमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है—इंडियन म्युनीशन बोर्ड (1917-20), सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवन्यू (1923-46), सर्वे आफ इंडिया (1777-1902), डायरेक्टोरेट जनरल आफ हैल्थ सर्विसेज (1855-1948), सालीसीटर जनरल (1761-1920), कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इंडिया (1882-1959) और दि इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च (1929-45)।

मानचित्र—भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिरक्षा में सर्वे आफ इंडिया (1777-1902) के अभिलेख रखे हैं और 10,000 से भी अधिक छपे हुए तथा पाण्डुलिपि रूप में मानचित्रों का यह संग्रह अत्यधिक समृद्ध है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार की कुल सम्पत्ति में परिणामतः 105000 जिल्द चढ़े ग्रन्थ और 5381200 खुले प्रलेख (बाक्सों में रखे या बंडलों में बंधे) हैं। पूरी संख्या में 1400 लाख पर्णियां सम्मिलित हैं जिनके 16830 मानचित्रों का उल्लेख नहीं है और हजारों की संख्या में विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयकों (बिलों) की प्रमाणित प्रतियां सम्मिलित हैं।

निजी कागज पत्र—राष्ट्रीय अभिलेखागार बुनियादी रूप से एक सरकारी अभिलेख कार्यालय है और एक लम्बी अवधि से केवल सरकारी अभिलेखों को ही रखता आ रहा है। तथापि, स्वतन्त्रता के बाद से एक जागरूकता बढ़ती ही गई है। इतिहास के अध्ययन के लिए निजी कागजपत्र एक महत्वपूर्ण स्रोत विषय सामग्री के रूप में संघटन करते हैं यद्यपि उनके परिरक्षण के लिए कभी कोई सावधानी या आवश्यक ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए, विभाग ने प्रख्यात भारतीय व्यक्तियों के निजी कागज-पत्रों को मुख्यतः दान के माध्यम से अधिग्रहण करने का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया। पहले ही विख्यात नेताओं के ऐसे 40 संग्रहों का अधिग्रहण किया जा चुका था जिनमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, जी० एस० खापरडे, बी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, मौलाना अबुल

कलाम आजाद, डा० राजेन्द्र प्रसाद, एम० आर० जयकर आदि के कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। विख्यात वैज्ञानिक एस. एस. भटनागर और प्रतिभाशाली गणितज्ञ रामानुजम के कागजपत्र भी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। अन्य महत्वपूर्ण निजी संग्रह में औरंगजेब के अधीन दक्खन में प्रांतीय सरकार के अभिलेखों और उसके उत्तराधिकारियों के कुछेक पत्र इनायत जंग संग्रह में सम्मिलित हैं। समय-समय पर विभाग द्वारा गठित ऐतिहासिक प्रलेख क्रय समिति अधिग्रहण के लिए प्रलेखों की जांच करने के लिए एकत्रित होती है।

विदेशों से माइक्रोफिल्में—1948 में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विश्व के विभिन्न भंडारों से भारतीय हित के प्रलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतियों को प्राप्त करने के लिए एक परियोजना प्रारम्भ की। निजी कागजपत्रों के साथ इन माइक्रोफिल्मों से अनुसंधानकर्ताओं को मूल्यवान पूरक आंकड़े प्राप्त होते हैं। यू० के० (ग्रेट ब्रिटेन) इस संबंध में एक प्रमुख स्रोत के रूप में है और वहां से भारत के राज्य सचिवों, वाइसरायों और वरिष्ठ सेवा कर्मचारियों के निजी कागजपत्रों की माइक्रोफिल्म प्रतियां भेजी गई हैं। इस कार्यक्रम में ब्रिटिश म्युजियम, पब्लिक रिकार्ड आफिस, दि इंडिया आफिस लाइब्रेरी एण्ड रिकार्ड्स, यूनीवर्सिटी लाइब्रेरी और ग्रेट ब्रिटेन के कुछ अन्य भंडारों ने सहयोग दिया है। इंडिया आफिस लाइब्रेरी के साथ एक कार्यक्रम और भी चल रहा है जो दोनों देशों के भंडारों में सरकारी अभिलेखों के अन्तरालों को भरने के लिए माइक्रोफिल्मों का आदान-प्रदान करने के संबंध में है। नीदरलैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत समाजवादी संघ गणराज्य, डेन्मार्क, वैटीकन, आस्ट्रेलिया और ब्राजील कुछ अन्य देश हैं जिनके माध्यम से माइक्रोफिल्में उपलब्ध की गई हैं। इस मूल्यवान संग्रह में माइक्रोफिल्मों के अब 2500 रोल्स से अधिक हो गए हैं।

पुस्तकालय :—विभाग में एक समृद्ध पुस्तकालय भी है जिसमें 18वीं शताब्दी की पिछली तारीख के दुर्लभ और मुद्रित प्रलेख रखे हैं। इनमें 1807 से कलकत्ता गजट, संसदीय कागजपत्र, प्रख्यात हकल्युत सीरीज, बिबलीओथका इंडिका सीरीज इत्यादि; 19 वीं शताब्दी से पूर्व के प्रारम्भिक फारसी और उर्दू समाचारपत्रों की पूरी फाइलें सम्मिलित हैं। पुस्तकालय में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए विभिन्न भाषाओं के रुचिपूर्ण प्रकाशनों के संग्रह, देशीय समाचार पत्रों की रिपोर्टें. सर्वे और सेटलमेंट रिपोर्टें. विभिन्न सरकारी प्रकाशन तथा फोर्ट विलियम कालेज संग्रह भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार अब पुस्तकालय की संपत्ति 1,90,000 ग्रन्थों से अधिक हो गई है।

अभिलेखीय प्रशासन

उपर्युक्त बताई गई संपत्ति से यह संकेत मिल जाएगा कि किस प्रकार राष्ट्रीय

अभिलेखागार में अभिलेखों और प्रलेख संबंधी विषय सामग्रियों का एक अनवरत प्रवाह हैं। परिणामस्वरूप विभाग पूरी तरह से इन विषय सामग्रियों की जांच और व्यवस्था में निरन्तर व्यस्त रहता है। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें क्रम भंग हालत में प्राप्त किया जाता है और उनकी छंटाई करके उपयुक्त रूप से उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। परामर्श योग्य तरीके से उनके रख-रखाव के लिए उनकी जांच की जाती है और उद्‌गम सिद्धान्त के अनुसार उनको उपयुक्त सीरीजों में व्यवस्थित किया जाता है। अलग पड़ी हुई कार्यवाहियों को एक मुख्य समूह में समाश्रित करके रखा जाता है। जिन्हें कृत्रिम संग्रहों में विभाजित कर दिया गया था, उनको अलग करके उनके मूल क्रम में फिर से प्रत्यावस्थित किया गया। सरलता से दिखाई पड़ने और प्रत्यावस्थापन की सुविधा के लिए जिनका सारांश लिखने, क्रम संख्या लिखने, लेबल लगाने और पृष्ठांकन करने की आवश्यकता होती है, उसे पूरा किया जाता है। ट्रेक में भी प्रत्येक फाइल को समूह से अलग करके तब तक रखा जाता है जब तक उसे अधि-याचना (मांग) पर्चियों और गमनागमन रजिस्टरों के साधनों द्वारा उसके उपयुक्त स्थान में प्रत्यावस्थित नहीं कर दिया जाता। इस विषय में निहित महत्ता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1947 के बाद न केवल विशाल अवाप्तियों का ब्यौरा तैयार किया गया, इससे पहले उनकी जांच करके व्यवस्थित किया गया परन्तु स्वतन्त्रता से पूर्व विभाग की अभिरक्षा में रखे अस्सी लाख प्रलेखों और ग्रन्थों को भी व्यवस्थित किया जा चुका था।

यह अनुभूति की गई है कि अभिलेखीय प्रशासन से संबंधित समस्याएं मुख्यत: राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखों के अनियमित और अव्यवस्थित वापसी के कारण उत्पन्न होती है। एक उदाहरण दिया जा सकता है जैसे—पहले अभिलेख सीरीजों की सूची राष्ट्रीय अभिलेखागार में, तैयार की सूची की कई फाइलों के वास्तविक स्थान्तरण के बगैर ही स्थानान्तरित कर दी गई। वैसे ही स्थायी महत्व के अभिलेखों को उनके साथ मिला दिया गया जो क्षणिक प्रकृति के थे। इन समस्याओं पर भारत सरकार द्वारा 1959 में नियुक्त की गई अभिलेखीय विधान समिति ने विशिष्ट रूप से प्रकाश डाला, जिससे अभिलेख प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिलेखों की व्यव-स्थित वापसी का सुझाव भी दिया।

अभिलेख प्रबन्ध—1962 के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबन्ध की एक व्यापक परियोजना हाथ में ली और भारत सरकार के विभिन्न अभिकरणों को उनके पास रखे हुए स्वल्पायु वाले अभिलेखों के बोझ से उनको मुक्ति दिलाने में सहायता करने का कार्य शुरू किया। इस परियोजना का उद्‌देश्य स्थायी महत्व के अभिलेखों को खोजने के लिए मूल्यांकन प्रकियाओं को विकसित करना था। मूल्यांकन संबंधी कार्य मे

सरकारी अभिकरणों का स्वैच्छिक सहयोग मिला और अभिलेखों के मूल्यांकन की वार्षिक दर लगभग 100,000 फाइलों तक पहुंच गई। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मूल्यांकन को सरल बनाने के लिए विभिन्न अभिकरणों को प्रतिधारण अनुसूचियों को तैयार करने में भी सहायता दी।

अभिलेख प्रबन्ध कार्यक्रम शीघ्र ही आवश्यक रूप से तेज होता गया। कार्यालयों की संख्या में वृद्धि और उनके अभिलेखों ने एक स्थान में उन्हें रखने की समस्याओं को बढ़ा दिया। इस कार्य को कारगर बनाने के लिए भारत सरकार ने दिसम्बर .972 में एक अभिलेखीय नीति संकल्प को अपनाया। इस संकल्प में अभिलेखों के मूल्यांकन और वापसी के संबंध में एक पूर्ण-परिभाषित नीति निर्धारित की गई थी जिसने विभागीय अधिकार पत्र कक्षों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित कार्मिक की आवश्यकता पर, भंडार की हालतों में सुधार, सेवा योग्य सूचियों की तैयारी, अभिलेखों के प्रबन्ध से संबंधित विभागीय नियम पुस्तकों के संशोधन और विभागीय अभिलेख कमरों और राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच के कार्यात्मक संबंध को सुधारने पर जोर दिया।

इस संकल्प का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है क्योंकि संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अभिलेख कमरों में रखे हुए अ-प्रचलित अभिलेखों का सर्वेक्षण पूरे देश में किया जा रहा है। संकल्प के कार्यान्वयन संबंधी नियमित वार्षिक रिपोर्ट 1973 से भारत सरकार को प्रस्तुत की जा रही है।

1975 में जब इतिहासकारों और अभिलेखाधिकारियों को कुछ राज्यों में अभिलेखों अन्धाधुन्ध विनाश की रिपोर्टें प्राप्त होने पर सावधान किया गया तब सरकार द्वारा एक अभिलेख प्रबन्ध समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अभिलेखीय नीति संकल्प में दिए गए विचारों का जोरदार समर्थन किया और सिफारिश की कि सरकारों के संरचना कार्यक्रमों में अभिलेखीय भवनों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी जाए, अंतरिम भंडारों का गठन किया जाए, विभागीय अभिलेख कक्षों का प्रबन्ध प्रशिक्षित कार्मिक द्वारा किया जाए और अप्रचलित अभिलेखों के वास्तविक निपटान के साथ भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का निकट सहयोग प्राप्त हो। इन सिफारिशों का धीरे-धीरे कार्यान्वयन किया जा रहा है। और पूरे देश के आगामी अभिलेखीय कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में यह सम्मिलित है।

अभिलेखों की उपलब्धि

स्वतन्त्रता के साथ ही जन्मी इस भावना ने जोर पकड़ा कि लोकतन्त्र में

व्यक्तियों को सरकार द्वारा सृजित किए गए अभिलेखों तक पूरा पहुंच जाने का अधिकार है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने इस भावना पर ध्यान दिया और अभिलेखागार में प्रवेश करने संबंधी नियमों को आगे उदार कर दिया। 1954 में, 1902 से पूर्व के अभिलेखों से उद्धरणों की संवीक्षा की पद्धति को उसके विमोचन से पहले ही विदेश और गृह मंत्रालय द्वारा उन्मूलित किया जा चुका था। केवल वर्गीकृत अभिलेखों पर लागू होने वाले कुछ प्रतिबन्धों का ध्यान रखते हुए 40 वर्षों से अधिक के जो भी अभिलेख थे उन सभी को अनुसंधान के लिऐ खुले रख छोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम 1956 में उठाया गया। पहले भी पुराने अभिलेखों के लिए केवल 30 वर्षों तक की सीमा निश्चित करने के लिए मूल कदम उठाया जा चुका है।

इन 'खुले' अभिलेखों के संबंध में लागू किये जाने वाले प्रतिबंध केवल उन्हीं प्रलेखों पर है जिनका संबंध नाजुक (अस्थिर) मंडलों और सीमांत क्षेत्रों से है। जहां तक निजी कागजपत्रों और सूक्ष्मचित्रों (माइक्रोफिल्मों) के संग्रह हैं, उन पर उपहार-कर्ताओं की ओर से शर्तें लगाई गई हैं और मूल प्राधिकारियों का उनका पालन करना होता है। अभिलेखों की सुरक्षा और शोधकर्ताओं को उन्हें उपलब्ध कराने के लिए एक नियमावली निर्धारित की गई है। सामान्यतया अनुसंधान संबंधी अपनी परियोजना के लिए भारतीय शोधकर्ताओं को उपयुक्त सिफारिश पत्रों के साथ अपने प्रामाणिक ब्यौरे देना होता है। जबकि विदेशियों को अपनी अनुसंधान परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा पूर्व निकासी लेनी होती है। शोधकर्ताओं को जब तक फिल्मी रूप में या कागज पर प्रतियों की पूर्ति नहीं की जाती तब तक कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एक सुसज्जित अनुसंधान कक्ष जिसमें एक समय में 45 व्यक्तियों के बैठकर कार्य कर सकने की व्यवस्था है जो 9 से 20 बजे तक सभी कार्य दिवसों में खुला रहता है और छुट्टी वाले दिनों में 9.30 बजे प्रातः से 16.30 बजे सायं तक खुला रखा जाता है। इसके साथ ही एक छोटा सा विश्राम कक्ष है जहां शोधकर्ता थकान उतार सकते हैं। सभी प्रकार के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य का एक लेखा रखा जाता है और एक पाक्षिक प्रकाशन के माध्यम से शोध निबन्धों और शोध प्रबन्धों का बुलेटिन के रूप में निकाला जाता है। अभी तक ऐसे आठ बुलेटिन जारी किए जा चुके हैं।

जनता को अभिलेखों की उपलब्धि कराने के लिए संबंधित नियमों में उदारता करने के परिणामस्वरूप और अनुसंधान के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के अर्वाचीन विगत के सभी पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख और अपरिहार्य केन्द्र के रूप में विकसित हो गया है। मूल स्रोत्रों संबंधी विषय सामग्रियों को देखने के लिए अनुसंधानकर्ताओं की संख्या 1946 में 51

तक सीमित थी जो 1978 में 766 तक बढ़ गई जिनमें विश्व के सभी महाद्वीपों के व्यक्ति सम्मिलित हैं। एसे अन्वेषकों के लिए जो व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान करने में असमर्थ होते हैं उन्हें डाक द्वारा जानकारी भेजी जाती है जिसके लिए सरकारी एजेन्सियों और जनता के सदस्यों दोनों की ओर से कभी-कभी संरक्षित अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। बाद के कार्य के लिए एक साधारण अनुसंधान शुल्क प्रभार के रूप में लिया जाता है और इस तरीके से वर्ष में लगभग 100 पूछताछों पर कार्य किया जाता है। 1946 में देखी गयी सरकारी फाइलों की कुल संख्या 26,000 से थोड़ी सी अधिक ही थी। 1978 में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अनुसंधानकर्ताओं, विभिन्न सरकारी एजेन्सियों और स्टाफ के सदस्यों से अभिलेखों के लिए दी गई 62,290 अधियाचनाओं और माइक्रोफिल्मों के 1707 रोल्स पर कार्य किया।

संदर्भ माध्यम

राष्ट्रीय अभिलेखागार का ध्यान उसकी अभिरक्षा में रखी विषय सामग्रियों के लिए उपयुक्त खोज सामग्रियों के संकलन पर उसके प्रारंभ से ही लगा रहा और स्वतंत्रता तक इस क्षेत्र में की गई प्रगति का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। स्वतन्त्रता के बाद दो ग्रन्थ **इन्डेक्सेज टू दि फारेन एण्ड पोलिटिकल डिपार्टमेंट रिकार्डस वाल्यूम** I (1756-8) **और** II (1781-83) जारी किए गए। जहां वे ग्रन्थ अनुसंधान कर्ताओं के लिए अत्यधिक मूल्यवान साबित हुए वहीं पर यह अनुभव किया गया कि ऐसे विस्तृत सूचकांकों के संकलन में काफी समय लगता है और वर्णात्मक सूचियों से इस उद्देश्य को पूरा किया जायेगा जिनके संकलन शीघ्र ही तैयार हो जायेंगे। इसलिए 1969 में **डिस्क्रिपटिव लिस्ट आफ सीक्रेट डिपार्टमेंट** (1776-80) का एक ग्रन्थ प्रकाशित होने के फौरन बाद यह अनुभव किया गया कि इससे मुद्रण खर्च बढ़ गया है और प्रेस में भी विलम्ब होता है। इसे दूर किया जा सके इसलिए खोज सामग्रियां साइक्लोस्टाइल फार्म में जारी की गईं। उसके बाद 1781-95 तक की अवधि की साइक्लोस्टाइल की गई वर्णात्मक सूचियां जारी की गईं। अंत में, विभाग ने इसे विषय सूचियों के सारांश तैयार करने वाली एक योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया। 1801-08 तक की अवधि की विषय सूचियां पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। सीक्रेट डिपार्टमेंट रिकार्डस की खोज सामग्रियों को तैयार करने की योजना का उद्देश्य यही है कि 1830 तक की अवधि की विषय सूचियों को पूरा कर लिया जाये उसके बाद तो मुद्रित सूचकांक पहले से ही उपलब्ध है। उसी समय एक और संदर्भ कार्य जो महत्वपूर्ण और रुचिपूर्ण रहा है **केटालाग आफ दि हिस्टोरिकल मेप्स आफ दि सर्वे आफ इंडिया** (1700-1900)। यह केटालाग 1975 में प्रकाशित किया गया।

परन्तु अभिलेखों की विशिष्ट सीरीजों के लिए तैयार की गई खोज सामग्रियों से अन्वेषकों को विभाग की अभिरक्षा में रखी कुल संपत्ति की कोई जानकारी नहीं मिलती है। संपूर्ण अभिलेख सीरीजों की एक विस्तृत निर्देशिका (गाइड) का अभाव बहुत पहले से महसूस किया गया है। एक गाइड के रूप में विभाग में 1925 से भी पहले प्रकाशित किया गया **हैन्ड बुक आफ प्री-म्युटिनी रिकार्डस था। ए गाइड टू दि रिकार्डस इन दि नेशनल आर्काइव्ज आफ इंडिया** के तीन भागों का प्रकाशन अभी हाल ही में किया गया है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी अभिरक्षा में रखे प्राच्य अभिलेखों की खोज सामग्री भी तैयार कर ली है। **ए डिस्क्रिप्टिव लिस्ट आफ पर्शियन कारसपान्डेंस** (1801) और **डिस्क्रिपटिव लिस्ट आफ म्युटिनी पेपर्स** के 4 ग्रन्थ (राष्ट्रीय अभिलेखागार की भोपाल शाखा में) शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सामग्रियां हैं। पर्शियन पत्र व्यवहारों को क्रमबद्ध करने का कार्यक्रम जारी रखा गया है और 4 अतिरिक्त ग्रन्थों को प्रकाशित किया जा चुका है जिसमें नवीनतम ग्रन्थ IX (1794-95) है, जबकि इनायत जंग संग्रह का वर्णात्मक सारांश का कार्य भी किया जा रहा है। एक विस्तृत अंग्रेजी का **इन्डेकसेज टू टाइट्ल्स** प्रकाशन मुद्राणाधीन हैं। अभिलेखों के बीच मिलने वाली मोहरों के सूचीपत्र (केटालाग) तैयार करने का एक और कार्यक्रम है।

विभाग के नियमित कार्यक्रम में सार्वजनिक अभिलेखों के महत्वपूर्ण संग्रहों की व्यवस्थित रूप से विषय सूचियां तैयार करना है। जहां तक विदेशों से प्राप्त किए जाने वाले माइक्रोफिल्म रोल्स के संग्रहों और देश के भीतर जमा किए गए निजी कागज-पत्र हैं उनके संबंध में प्रस्तावना सहित एक स्मारिका प्रकाशित की गई है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ताओं को देखने के लिए हस्तलिखित विस्तृत सूचियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

नेशनल रजिस्टर आफ प्राइवेट रिकार्डस—भारत महत्वपूर्ण निजी अभिलेखों का एक भंडारगृह है परन्तु शताब्दियों से काल के अन्तर्गत और मानव मतभेदों द्वारा उन्हें नष्ट करने के लिए यूंही छोड़ दिया गया। इन अभिलेखों को इतिहास की स्रोत सामग्री के रूप में जो महत्ता थी उसे मान्यता मिली परन्तु जब तक भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से 1942 में एक सर्वेक्षण के लिए जोर नहीं दिया तब तक इसका कोई लेखा रखने का सम्मिलित प्रयास नहीं किया गया। 1947 में प्राइवेट और सेमी-प्राइवेट अभिलेखों के एक रजिस्टर रखने की आकांक्षा प्रकट की गई। 1958 में आयोग की फिर से और की गई सिफारिशों और उसी वर्ष, संसदीय अनुमान कमेटी द्वारा प्रोत्साहित करने पर भारत सरकार ने 1960

में इस कार्य के निर्देशन के लिए नेशनल रजिस्टर कमेटी की नियुक्ति की। इस समिति ने प्रस्तावित नेशनल रजिस्टरों में समाश्रित करने के लिए सूचना एकत्रित करने और उस कार्य का समन्वय करने हेतु एक केन्द्रीय अभिकरण और साथ ही राज्यों में संगठनों का गठन करने के लिए सिफारिश की। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने शीघ्र ही केन्द्रीय अभिकरण का गठन कर लिया। पन्द्रह राज्यों और दिल्ली के संघ प्रशासित क्षेत्र में अधीनस्थ एककों का गठन किया गया। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभी तक इस रजिस्टर के 9 ग्रन्थों का प्रकाशन किया है जिनमें 1959-68 के दशक में उनके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर विभिन्न राज्यों के विविध संग्रहों को सम्मिलित किया गया है। जब पूरे देश में प्राइवेट आधिपत्य में रखी अभिलेखीय संपत्ति की ऐसी कोई विराट अखिल भारतीय विषय सूची तैयार करने का कार्यक्षेत्र स्वभावतः सीमित हो तब ऐसे विशेष संदर्भ कार्य का संकलन, राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अदा की गई देश व्यापी भूमिका का महत्व दर्शाता है। हाल ही में राष्ट्रीय रजिस्टर के संबंध में कार्य के समन्वय के लिए भुवनेश्वर में एक कक्ष की स्थापना की गई है।

प्रकाशन कार्यक्रम—इस संदर्भ में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि डा० सेन के कार्य काल में 1942 में विभाग ने प्रकाशन कार्यक्रम प्रारंभ किया। डा० सेन ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं 17वीं शताब्दी में भारत आए दो यूरोपीय आगन्तुकों की रुचिपूर्ण तरीके से समझाई गई यात्रा, **इंडियन ट्रवेल्स आफ थेवनो एण्ड केरेरी** का संपादन किया था। विभाग के अन्य प्रलेखी प्रकाशनों में 1782-85 में शाह आलम II के समय दिल्ली कोर्ट में कम्पनी के राजनयिक मेजर जेम्स ब्राउन और वारेन हेस्टिंग्ज के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों का सन्निहित किया गया **ब्राउन कारसपांडेन्स**, और 1860 तथा 1907 के बीच शिक्षा संबंधी विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले **सिलेक्शन्स फ्राम एजुकेशनल रिकार्डस वाल्यूम** I, II **और** IV और शार्प और रिचेस के उत्कृष्ट **सिलेक्शन फ्राम एजुकेशनल रिकार्डस** (1781-1859) के दो ग्रन्थ हैं। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यद्यपि **फोर्ट विलियम-इंडिया हाउस का रसपांडेन्स** शीर्षक से 1748-1800 के बीच कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कम्पनी के कोर्ट आफ डायरेक्टर्स लौर फोर्ट विलियम बोर्ड के वीच हुए प्रेषणों का विस्तार से 21 ग्रन्थों में प्रकाशन करना था जिनमें 18वीं शताब्दी के दौरान ईस्ट इंडिया कम्पनी के बहुमुखी कार्यकलापों को मूर्तरूप दिया गया था। प्रत्येक ग्रन्थ का सम्पादन एक विख्यात इतिहासकार द्वारा किया जाता है और पत्रों के उद्धरण के अतिरिक्त, पांडित्यपूर्ण प्रस्तावना, महत्वपूर्ण टिप्पणियों, चुनी ग्रन्थ सूची, सुविस्तृत सूचकांक और मानचित्रों सहित अनेक दुर्लभ उद्धरण सम्मिलित होते हैं। अभी तक इस सीरीज के 19 ग्रंथ प्रकाशित किये जा चुके हैं।

उसी प्रकाशन कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग ने विश्वविद्यालयों और विद्वान संस्थाओं के साथ सहयोग किया गया और निम्न उत्कृष्ट प्रकाशन प्रवर्तित किए जिनमें **औरमे मैनुस्क्रिप्टस** (अन्नामलाई विश्वविद्यालय), **पंजाब अखबार** 1839-40 में (सिख इतिहास सोसाइटी) **एलफिन्सटन्स कारसपोडेंस** 1804-08 (नागपुर विश्वविद्यालय) **ओेहतरलोनी पेपर्स** 1818-25 (कलकत्ता विश्वविद्यालय), और **नार्थ वेस्टर्न फ्रन्टियर** शीर्षक से विदेश विभाग समाचार पत्र और **ब्रिटिश भारत** (1839-42) ग्रन्थ I, (पंजाब विश्वविद्यालय)। उसी प्रकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस विभाग की अभिरक्षा में रखे बंगाली, हिन्दी, फारसी, संस्कृत और तेलुगु के प्रत्येक ग्रन्थ का प्रवर्तन करके उन्हें प्रकाशित किया गया।

विभाग ने भारतीय ऐतिहासिक लभिलेख आयोग की रजत जयंती के प्रमाण में **भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग : एक सिंहावलोकन** शीर्षक से एक ग्रन्थ प्रकाशित किया जिसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार का इतिहास और साथ ही अभिलेखागार की संपत्ति का वर्णन भी किया गया है। आयोग की कार्यवाहियों के 45 ग्रन्थ जिसमें अकादमी बैठकों में पढ़े गए निबन्धों, उन निबन्धों की सूची और आयोग द्वारा उस समय तक पारित किए गए संकल्पों के सारांशों के 2 ग्रन्थ भी मुद्रित रूप में उपलब्ध हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय अभिलेखपाल समिति के भी 4 ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हैं।

दि इंडियन आर्काइव्ज—विभाग के नियमित प्रकाशनों में से सबसे अधिक उल्लेखनीय यह पत्रिका है जो अभिलेखीय विज्ञान के संबंध में प्रकाशित की जाती है और जिसे तिमाही के रूप में 1947 में पहली बार जारी किया गया था। वर्तमान समय में इस पत्रिका का अर्ध वार्षिक प्रकाशन किया जाता है और इसके 34 अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं जिनमें प्रख्यात इतिहासकारों और अभिलेखपालों द्वारा उनके दृष्टिकोण से लिखे गए निबंधों को सम्मिलित किया गया है। पूरे एशिया में यह अपने प्रकार की पहली पत्रिका है जो अभिलेख विज्ञान, अभिलेख प्रबन्ध की समस्याओं, अभिलेखागारों को विषय सामग्री के स्रोत के रूप में, परिरक्षण तकनीकों, फोटो डुपलीकेशन और अन्य संबद्ध विषयों पर विचार प्रगट करती है। **एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका** के नवीनतम संस्करण से इस पत्रिका के आविर्भाव का "युद्धोपरांत विकास के विशिष्ट महत्व" के रूप में अभिवादन किया गया। इसने अभिलेखों के वैज्ञानिक निरूपण के संबंध में तकनीकी जानकारी के विषमीकरण में और इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेखों की सामान्य जानकारी देने के बारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा अभिलेखपालों व अभिलेखों के प्रयोगकर्ताओं के बीच विचारों के विनिमय दृष्टिकोणों और अनुभवों के लिए एक प्रभावी फोरम के रूप में सेवा प्रदान की है।

इसमें (हाल ही में हिन्दी) निबंधों के अतिरिक्त अभिलेखीय महत्व के समाचारों की टिप्पणियां और अभिलेखों तथा इतिहास संबंधी पुस्तकों की समीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं। सहयोगियों को हल्का सा पारिश्रमिक दिया जाता है।

स्वतन्त्रता की ओर परियोजना—राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रवर्तित प्रकाशन परियोजनाओं में से यह सबसे अधिक आकांक्षित परियोजना है जो 1937-47 तक के दशक में स्वाधीनता के लिए किए गए भारतीय संघर्ष संबंधी प्रलेखीकरण को पूरा करने से संबंधित है। वर्तमान समय में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से 10 ग्रन्थों पर विचार किया गया है जिसके सम्पादन और प्रकाशन सम्बन्धी उत्तरदायित्व को बांट दिया जायेगा और राष्ट्रीय अभिलेखागार को पूरे भारत से सरकारी अभिरक्षा में रखी विषय सामग्रियों को छांटने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभी तक अपनी अभिरक्षा में रखी संपत्ति के साथ ही साथ विभिन्न राज्य अभिलेखागारों की सामग्री की छंटाई की है। यह विषय सामग्री लगभग आधा लाख पन्नों से भी अधिक है जिसकी काट-छांट और संपादन परिषद द्वारा किया जाना है।

प्रदर्शनियां और अभिलेख सप्ताह

राष्ट्रीय अभिलेखागार में संग्रहित अभिलेखों के विशाल भंडार का कुछ ज्ञान उसके प्रकाशनों और खोज सामग्री से विद्वत समाज को तो हो जाता है किन्तु सर्वसाधारण को उसकी झलक केवल भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के वार्षिक अधिवेशनों में ही हो पाती है। परन्तु अभी हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने समय-समय पर भारत और विदेशों में होने वाली अनेकों प्रदर्शनियों में अधिक भाग लिया है। लन्दन, पेरिस, टोकियो, काबुल और कोराबा में दुर्लभग्रंथ, मुहरों की छाप और अभिलेखागार में रुचिकर 'अभिलेखों' को प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली में इस विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों में अतीत के महान व्यक्तियों, जैसे महात्मा गांधी, गणितज्ञ एस. रामानुजम, मिर्जा गालिब, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल और अमीर खुसरो की याद में लगाई गई प्रदर्शनियां काफी लोकप्रिय हुई हैं। भारतीय स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ (1973) तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेख परिषद की दक्षिण और पश्चिम एशियाई क्षेत्रीय शाखा के उद्घाटन (1976) के अवसर पर लगाई प्रदर्शनियां भी पर्याप्त सफल रही हैं।

गतवर्ष (1-13 अगस्त 1978) अभिलेख सप्ताह के संबंध में 'हमारी निधियां' नामक चुनी हुई सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई थी। 1978 से राष्ट्रीय अभिलेखागार

ने नियमित रूप से जनसाधारण को विभाग की गतिविधियों से परिचित कराने के लिए प्रतिवर्ष यह सप्ताह मनाने का निर्णय किया है। इसमें प्रदर्शनी के अतिरिक्त टी०वी० और रेडियो प्रसारण, गोष्ठियां, परिचर्चाएं, फिल्म शो, विशेष पुस्तिकायें, स्मारिकाओं का वितरण, समाचार पत्रों से अन्तर्व्यूह, इत्यादि सम्मिलित हैं। इस अवसर पर परिक्रमा दर्शन (Open house) की भी व्यवस्था की जाती है जिसमें सर्वसाधारण को इस भंडार उसकी गतिविधियों तथा संरक्षण और रेफ्रोग्राफी से परिचित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

संरक्षण

लैमिनेटिंग हाईड्रालिक प्रेस की स्थापना मरम्मत के प्रचलित उपायों से वैज्ञानिक प्रक्रिया की ओर अग्रसर होने का पहला कदम था जिसने ताप और दबाव के माध्यम से प्राचीन और टूट जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पन्ने को सेल्लोज एसीटेट फ्वायलों के बीच बन्द करके उन्हें सम्भावित क्षीणता के खतरों से बचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह विभाग बहुत थोड़ी अवधि में ही सोलह लाख हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के पन्नों को पुनः प्रतिष्ठापित कर सकने में सफल हुआ है। इसी प्रकार वैक्यूम फ्यूमीगेशन का यंत्र लगाने से भी पहली बार जीवाणुओं और कीटाणुओं के आक्रमण से बहुत बड़ी संख्या में अभिलेखों को सुरक्षित रखने में सफलता मिली है। यह धूमन कक्ष (फ्यूमीगेशन चैम्बर) एक समय में 300 घनफुट अभिलेख धूमित करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार जिल्दसाजी प्रभाग की स्थापना से भी विभाग को जीर्ण-शीर्ण ग्रंथों की पुनर्स्थापना में पर्याप्त सहायता मिली है। संग्रह कक्षों में अधिक से अधिक संरक्षरण परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान इमारत के भूतल को पूर्णरूपेण एयरकण्डीशण्ड करा दिया गया है।

सर्वांगरूप से संरक्षण से संबंधित क्रिया कलापों में इस विभाग की अनुसंधानशाला ने अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसकी सर्वोतकृष्ट उपलब्धि श्रमिक लेमिनेशन की एक विशेष प्रक्रिया का विकास रहा है जिसमें सेल्लोज ऐसीटेट फ्वायलों को टिशूपेपर के ऊपर पाण्डुलिपियों के पृष्ठों पर एसीटोन द्वारा स्थापित करना होता है। यह कम खर्चीली और सहजसुलभ प्रक्रिया विशेषकर छोटे संग्रहों के लिए जिनके पास अधिक साधन उपलब्ध नहीं हैं, विकसित की गई है और अब तो अनेकों भारतीय और विदेशी भंडारों द्वारा प्रयुक्त हो रही है। अनुसंधानशाला की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है ताड़ पत्रों और भोज पत्रों की पाण्डुलिपियों की मरम्मत जो पूर्णतः नवीन प्रक्रिया है। इण्टरनेशनल सेन्टर फार दि स्टडी आफ दि प्रिजर्वेशन आफ कल्चरल प्रापर्टीज (रोम) और इण्टरनेशनल काउन्सिल आन म्यूजियम्स के सहयोग से लेखन सामग्री पर व्यवसायिक कीटाणुनाशक दबाइयों के प्रभाव पर यह अनुसंधानशाला अध्ययन करती रही

है। इस अध्ययन में उसने दो परिणाम पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। इस अनुसंधान-शाला में बड़ी सफलतापूर्वक की गई दिलचस्प खोजों में, पानी से घुल जाने वाली स्याही से लिखे अभिलेखों का अन-अम्लीयकरण(डिएसीडिफिकेशन), रुग्ण पाण्डुलिपियों का नेप्थ-लीनवाष्प द्वारा धूमन, छठी शताब्दी में गिलगिट में खोजी गई क्लेकोटेड प्रोटोपेपर का तंतु विश्लेषण तथा उसकी पुनर्स्थापना के उपाय, पेन्सिल की लिखावट का परिरक्षण, चर्म-परिरक्षण में सोडियम बेन्जोट की प्रभावोत्पादकता, मरम्मत किए जानेवाले अभिलेखों के लिए कार्बोक्साइमेथिल सेलूलोज का गोंद की तरह प्रयोग, आदि उपलब्धियों का वर्णन किया जा सकता है। आधारभूत माइक्रोफिल्म को प्रासेस करने और सुरक्षित ढंग से संग्रह करने, स्थाई स्याही के मानकीकरण, स्थायी कागज और जिल्द साजी की सामग्री और अभिलेखों तथा पाण्डुलिपियों के संरक्षण से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के मानक तैयार करने में भी विभाग ने इण्डिया स्टैण्डर्ड इन्स्टीट्यूट के साथ सहयोग किया है। इस समय विभाग अभिलेखों के कवर के लिए उपयुक्त सामग्री का चयन और अभिलेखागार में उपलब्ध प्राच्य भाषा में लिखे गए अभिलेखों पर देशी कागज के भौतिक तथा रसायनिक प्रभाव पर खोज में संलग्न है।

रिप्रोग्रौफी (छायाचित्रानुकरण)

छायाचित्रों की अनुकृतियों से संबंधित क्रिया कलाप युद्धोपरांत विकास है। छायाचित्रों द्वारा अभिलेखों की अनुकृतियों की योजना का कार्यान्वयन जो सुरक्षा, संदर्भ और प्रदर्शन के लिए काफी दिनों से विचाराधीन था द्वितीय महायुद्ध के कारण विलंबित हो गया था। केवल सन 1950 में अनेकों माइक्रोफिल्म कैमरे तथा अन्य सयंत्र आयात किए जा सके और एक माइक्रोफिल्म अनुसंधानशाला प्रस्थापित हो सकी। इसकी सहायता से विभाग अपने अमूल्य संग्रह को विधिवित माइक्रोफिल्म कर सका तथा प्राचीन अभिलेखों के लगभग एक करोड़ हस्तलिखित पृष्ठों को माइक्रोफिल्म कर चुका है। माइक्रोफिल्म अनुसंधानशाला शोधकर्ताओं और संस्थानों के दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई अभिलेख अभिलेखन की मांग के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। माइक्रोफिल्म बनाने के अतिरिक्त जेरोग्रोफिक प्रतियां बनाने की सुविधायें भी उपलब्ध हैं तथा यह सेवायें बिना किसी लाभ की दृष्टि के उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसी बहुमूल्य और दुर्लभ सामग्री जो विभाग में नहीं लाई जा सकती उसके लिए एक चल माइक्रोफिल्म एकक भी उपलब्ध है। इस सुविधा का उपयोग बहुधा राज्य अभिलेखागारों द्वारा किया जाता है।

तकनीकी सहायता—यद्यपि राष्ट्रीय अभिलेखागार का कार्य मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के अभिलेखों के संरक्षण से संबंधित है तथापि इस दशा में किया गया कार्य न केवल उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अपितु संस्थानों और व्यक्तियों की भी

सेवा करता है। लगभग सन् 1924 में जयपुर राज्य को उनका संग्रह सुरक्षित रखने के लिए एक मौलवी और एक अनुभवी मरम्मत करने वाले की सेवायें अर्पित की गई थीं। स्वतन्त्रता के पश्चात तो राष्ट्रीय अभिलेखागार से अपनी पाण्डुलिपियों के संग्रह दुर्लभ ग्रंथों और अभिलेखों की सुरक्षा के लिए सेवाएं प्राप्त करने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। गांधी स्मारक निधि, जयपुर राज्य अभिलेखागार और रजा पुस्तकालय, रामपुर को बड़े पैमाने पर रिप्रोग्रैफिक सहायता प्रदान की गई है। अंतिम नाम वाले संस्थान के लिए तो 4,64,000 हस्तलिखित पृष्ठों की माइक्रोफिल्में तैयार की गई हैं। अनेकों एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भी रिप्रोग्रेफिक कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त की है। व्यक्तिगत शोधकर्ताओं, अभिलेख संग्रहालयों, अनुसंधान संस्थानों और अभिलेखन केन्द्रों का इस देश और विदेशों में माइक्रोफिल्म और मरम्मत सेवाओं की प्राप्ति का क्षेत्र सदैव बढ़ता ही जाता है। यदि आवश्यकता हुई तो हमारे संग्रहालय के कुशल व्यक्ति यथास्थान जाकर निरीक्षण करके संरक्षण से संबंधित उचित सलाह भी प्रदान करते हैं। नए सिरे से परिरक्षण और रिप्रोग्रैफी सेवायें प्रारंभ की भी सलाह दी जाती है तथा सयंत्रों को लगाने में जो मदद हो सकती है की जाती है। आधारभूत निर्देश उपलब्ध कराने के लिए इस विषय पर 'रिपेयर एण्ड प्रिजरवेशन आफ रिकार्ड्स' हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई जिसका निःशुल्क वितरण होता है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार की सलाह देने की सेवायें केवल संरक्षण और रिप्रोग्रैफिक तक ही सीमित नहीं हैं। सलाह और व्यक्तिगत सहायता अभिलेखीय सेवायें स्थापित करने, राज्यों और अधिकारियों के बीच अभिलेखों के बंटवारे से संबंधित जटिल समस्यायें सुलझाने, अभिलेखों के मूल्यांकन एवं प्रबन्ध तथा अभिलेख कार्य से संबंधित अन्य अनेक पक्षों पर भी दी जाती है। ऐसी सलाह और सेवाओं का लाभ उठाने वालों में केरल, अंडमान एण्ड निकोबार, मनीपुर, केलादी टेम्पल म्यूजियम एण्ड रिसर्च ब्यूरो आदि के नामों का उल्लेख किया जा सकता है।

परामर्श सेवायें : राष्ट्रीय अभिलेखागार के दक्षता प्राप्त अधिकारी सिंगापुर, नेपाल, सऊदी अरेबिया, सेनेगाल और इटली की सरकारों द्वारा आमंत्रित किए गए हैं जहां उन्होंने परामर्श सेवायें प्रदान की हैं। उनमें से कुछ ने इन्टरनेशनल काउंसिल आन आर्काइव्ज और यूनेस्को की विभिन्न समितियों में भी कार्य किया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की अनुसंधानशाला ने फीजी, मलेशिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, जापान, बुल्गारिया, कांसा और न्यूजीलैंड के भंडारों को तकनीकी सहायता पहुंचाई है।

अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान

अभिलेख प्रशिक्षण जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है विभाग ने औपचारिक रूप से 1948 में प्रारंभ किया था अब नियमित रूप से न केवल भारत में बल्कि एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में प्रशिक्षित अभिलेखपालों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए एक विद्यालय में परिवर्तित हो चुका है। प्रारंभिक तौर पर केन्द्रीय और राजकीय नामांकित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यह दो वर्षीय अभिलेख और पुस्तकालय विज्ञान के डिप्लोमा कोर्स के रूप में शुरू किया गया था। इसकी विषय-सूची 1946 में परिवर्तित कर दी गई जिसमें अभिलेख कार्य के प्रयोगात्मक पक्ष पर अधिक जोर दिया गया तथा प्रशिक्षण काल एक वर्ष का कर दिया गया। भारत सरकार के अभिलेख नीति संकल्प (1972) के अनुरूप जिसमें विभागीय भंडारकक्षों में प्रशिक्षित अभिलेख प्रबन्धक रखने पर जोर दिया गया था एक अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। अब आठ सप्ताह का प्रशिक्षण अभिलेख प्रबन्ध और छः सप्ताह का प्रशिक्षण परिरक्षण और मरम्मत पर नियमित प्रशिक्षण के अतिरिक्त दिया जाता है। इन सब प्रशिक्षणों को निपुणतापूर्वक चलाने के लिए सितम्बर 1976 में एक पृथक भवन में अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई।

संस्थान के डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षणार्थी का एक अच्छा स्नातकोत्तर होना कम से कम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक प्रश्न पत्र सहित आवश्यक है। दो सर्वोत्तम प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा भी दिया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा भी प्रशिक्षणार्थी इस कोर्स में नामांकित किये जाते हैं। एशिया और अफ्रीका के अनेकों विकासशील देशों से भी बहुत से प्रशिक्षणार्थी आते रहे हैं। इस संस्थान और इसके पहले की संस्था ने अभी तक 200 अभिलेखपाल प्रशिक्षित किए हैं जो अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, कीनिया, नाइजीरिया की सरकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं।

डिप्लोमा कोर्स की विषय-सूची में अभिलेखन कला, अभिलेख प्रबंध, शोध-विधि, सम्पादन और अभिलेखों का प्रकाशन, भारत और विदेशों में अभिलेखीय विकास अभिलेखालयों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, संरक्षण और रिप्रोग्रैफी सम्मिलित हैं। व्याख्यानों के उपरान्त प्रयोगात्मक गतिविधियां होती हैं।

सन् 1978 में उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत रूप से इस प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकते, एक अभिलेख-रखरखाव पर पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभकिया गया है।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार एकांगी होकर कार्य नहीं करता। बिना शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग के, कार्यान्वयन को तो छोड़िये, बड़े पैमाने पर अभिलेखीय गतिविधियों के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग : इस प्रकार के सहयोग का संस्थागत आधार मिला भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग से जो भारत सरकार द्वारा 1919 में परामर्शदात्री संस्था के रूप में गठित हुआ था जिसका कार्य केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा रजवाड़ों को अभिलेखों से संबंधित तकनीकी मामलों और वैज्ञानिक परिरक्षण तथा अभिलेखों के प्रयोग के विषय में सलाह देना था। 1941 के परिवर्तित संविधान के अन्तर्गत आयोग में पूर्ण परिवर्तन कर दिया गया है जिसे वास्तविक सरकारी संस्था के स्थान पर, शैक्षणिक और अभिलेखीय रुचि के लोगों का प्रतिनिधित्व प्रदान कर एक मुक्त विस्तृत संघ का रूप दे दिया गया है। आयोग के निर्देश पर व्यक्तिगत अभिलेखों के सर्वेक्षण का हवाला पहले ही दिया जा चुका है। इसी प्रकार की एक समानान्तर परियोजना थी जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक अभिलेखागारों को देशव्यापी ढंग पर वैज्ञानिक तरीके से पुनर्संगठित करना था, इसके लिए विधिवत जांच पड़ताल भी हो चुकी है। स्वातन्त्र्योपरान्त उन सभी लोगों के लिए जिन्हें देश के अभिलेखागार से कुछ भी संबंध है शिकायतों को प्रकट करने का एक प्रभावशाली मंच हो गया है। इसके 1974 के पुनर्परिवर्धित संविधान में सार्वजनिक और व्यक्तिगत अभिलेख निर्माता, प्रयोगकर्ता, व्यवसायिक और शैक्षणिक विशेषज्ञ तथा प्रमुख विद्वानों और अभिलेखपालों, अन्य देशों के कुछ लोगों को भी, कार्य करना संभव हो गया है।

इसकी प्रमुख उपलब्धियों में 1942 का विस्तृत प्रकाशन कार्यक्रम, व्यावसायिक अभिलेखपालों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिलेखों को वैज्ञानिक ढंग से परिरक्षित करना आदि सम्मिलित है। आयोग के बौद्धिक अधिवेशन में शोधकर्ताओं द्वारा पढ़े गए शोधपत्रों के माध्यम से अभी तक अतीत के अज्ञात तथ्यों को प्रकाश में लाने में भी सहायता मिली है। तथापि इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि निरन्तर मांग के फलस्वरूप 1959 में डा० ताराचन्द की अध्यक्षता में एक दक्षता समिति का गठन थी जिसका काम केन्द्र और राज्यीय अभिलेखागारों के लिये एक समन्वित कानून बनाने की संभावनाओं का पता लगाना था जिससे केन्द्र और राज्यों की अभिलेखीय गतिविधियों में तादात्म्य उत्पन्न किया जा सके। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अभिलेखों से संबंधित समस्याओं पर एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा सूचनापूर्ण दस्तावेज है। 1972 में अभि-

लेखीय नीति प्रस्ताव जो भारत सरकार द्वारा स्वीकार हुआ इस समिति के प्रतिवेदन का ही फल है। इसी प्रकार आयोग की प्रेरणा से 1975 में नियुक्त समिति, जो देश के अभिलेखों के तथाकथित अंधाधुंध विनाश पर विचार के लिए बनी थी, का प्रतिवेदन भी बहुत लाभदायक दस्तावेज है। आयोग ने राष्ट्रीय महत्त्व के अभिलेखों के निर्यात को रोकने में भी प्रशंसनीय कार्य किया है।

आज आयोग अभिलेख निर्माताओं, संरक्षकों ओर प्रयोगकर्ताओं के लिए एक शक्तिशाली संघ के रूप में कार्य कर रहा है। इसके उत्तरदायित्वों में विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समितियों और प्रबुद्ध सभाओं के सहयोग से व्यक्तिगत और अर्द्ध-सरकारी अधिकारों में उपलब्ध सामग्री को बचाना तथा उसके प्रयोग सम्मिलित हैं। आयोग की बैठकें प्रतिवर्ष होती है। यह अपवाद रहित है जैसा कि 1962 और 1965 की परिस्थितियों से अवगत होता है।

अभिलेखपालों की राष्ट्रीय समिति :—दूसरी सलाहकार संस्था है 1953 में स्थापित अभिलेखपालों की राष्ट्रीय समिति जो केन्द्र और राज्यों के सभी सुसंगठित अभिलेखागारों के प्रधानों से बनी है। इसका उद्देश्य उन सभी के द्वारा सामान्य तकनीकी समस्याओं को निश्चित करना तथा उनका समाधान ढूंढ़ना है। साधारणत: समिति प्रत्येक वर्ष बैठक बुलाती है और अभी तक उसकी इक्कीस बैठकें हो चुकी हैं। इसकी कार्यवाहियां दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के साधन ढूंढ़ने, सर्वमान्य कार्यक्रम निर्धारित करने और अभिलेखीय कार्यों के विकास की योजनायें बनाने तथा उनमें एकरूपता लाने में सरकारी अभिलेखपालों के लिए बहुत सहायक रही हैं।

इन्टरनेशनल काउंसिल आन आर्काइव्ज :— भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेखपालों की इस संस्था का एक अत्यन्त सक्रिय सदस्य है और काउंसिल के विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में सहयोग देता है। इस विभाग के अनेकों अधिकारी काउंसिल की विभिन्न समितियों में सेवारत रहे हैं।

स्वारबिका :—भारत सरकार ने 1976 में इंटरनेशनल काउंसिल आन आर्काइव्ज की दक्षिण और पश्चिम एशिया क्षेत्र की शाखा स्थापित करने में अग्रगण्य भाग लिया। भारत के अतिरिक्त ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश और श्रीलंका वर्तमान समय में इसके सदस्य हैं। शाखा द्वारा एक अपना वार्षिक मुखपत्र प्रकाशित किया जाता है और इसका सचिवालय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत में ही स्थित है।

इन संस्थाओं के अतिरिक्त जिनका भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ले निकटस्थ सम्पर्क है कई और भी भारतीय तथा वैदेशिक संस्थाएं हैं जो इतिहास और अभिलेखों से संबंधित हैं उनमें इसका प्रतिनिधित्व है तथा वह सक्रिय रूप से उनके सम्पर्क में हैं। अभी हाल के वर्षों में भारत में श्रेष्ठ अभिलेखपालों का नियमित आगमन हुआ है। यू. एस.एस.आर., फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, हंगरी इत्यादि देशों के अभिलेखपालों का आगमन हुआ है। इसी प्रकार भारतीय अभिलेखपाल तथा संरक्षण और रिप्रोग्रैफी के विशेषज्ञ जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यू० एस० एस० आर०, हंगरी, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी आदि देशों को गए हैं।

राज्यों के अभिलेखागार

आंध्र प्रदेश

भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के केन्द्रीय अभिलेख संग्रहालय में, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, अनेकों संगठनात्मक परिवर्तन हुए और 1962 में राजकीय केन्द्रीय अभिलेखागार के रूप में आधुनिक स्थिति को प्राप्त हुआ। इसमें 76000 फीट की लम्बी शेल्फों में 2,000,000 अभिलेख और फाइलें उपलब्ध हैं और इसकी अपनी कार्यात्मक इमारत है। इसका हैदराबाद में एक अन्तरिम संग्रहालय, तिरुपति विशाखापत्तनम और वाल्टेयर में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अभिलेखों में ऐतिहासिक और व्यक्तिगत पत्रादि का संग्रह तथा नियमित अभिलेख श्रृंखला सम्मिलित हैं। इसके अधिकार में कुछ व्यक्तिगत पत्र सन् 1412 के तथा सरकारी अभिलेख 1760 तक के हैं। राज्य अभिलेखागार के अधिकार में मुगल अभिलेख 1628 से तथा सालारजंग संग्रह 1800-1960 के महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हैं। यहां से अनेकों उपयोगी खोज सामग्री का प्रकाशन हुआ है तथा प्रतिलिपि तैयार करने की सेवायें भी उपलब्ध हैं। बीसवीं शताब्दी से पूर्व का अधिकांश अभिलेख फारसी, मराठी और उर्दू में हैं।

आसाम

आसाम सिविल सेक्रेटेरियट रिकार्ड आफिस की स्थापना शिलांग में 1874 में हुई थी। इसके अभिलेख 5000 घनफुट शेल्फों की जगह घेरते हैं और काल-क्रमानुसार 1823-1949 तक उपलब्ध हैं। इसके प्रकाशनों में परिचय पुस्तक, प्रेस लिस्सट्, सूचियां और डा० एस० के० भूइयां द्वारा 1951 में तैयार किया गया संग्रहों का प्रतिवेदन सम्मिलित है।

बिहार

सिविल सेक्रेटेरियट रिकार्डस रूम पटना में सन् 1861 में स्थापित किया गया था। 1954 में यह सेन्ट्रल स्टेट रिकार्ड आफिस बन गया। इसने दरभंगा में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है और दूसरा रांची में स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई

है। इसके अधिकार में जो अभिलेख हैं उनकी अवधि 1771-1963 है। इस राज्य अभिलेखागार ने बहुत से अभिलेख प्रकाशन तथा खोज-सामग्री प्रकाशित की है।

गुजरात

राजकीय अभिलेखागार की स्थापना दिसम्बर 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है तथा दो अधीनस्थ संग्रहालय बड़ौदा और राजकोट में हैं। इसके अभिलेख 31000 वर्ग फुट शेल्फ स्थान घेरे हुए हैं और तीन प्रकार की श्रृंखलाओं से बने हैं। (अ) सरकारी कार्यालय, (ब) बड़ौदा रेज़ीडेंसी और (स) बड़ौदा नगरपालिका। इनका कालक्रम 1728 से 1947 तक विस्तृत है। बड़ौदा संग्रहालय जो इस राज्य के अभिलेखागार का केन्द्रबिन्दु है, द्वारा कुछ सूचियां, खोज-सामग्री, कैटलाग्स अभिलेख संकलन प्रकाशित किए गए हैं।

हरियाणा

हरियाणा राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सितम्बर 1975 में चण्डीगढ़ में हुई थी। इसका संग्रह 36,780 फाइलों, 2150 ग्रंथों 31 बस्तों और 32 रजिस्टरों से मिलकर बना है जो 1822-84 की अवधि के हैं। जो खोज सामग्री राजकीय अभिलेखागार द्वारा तैयार की गई है वह अम्बाला और दिल्ली के अभिलेखों की वर्णनात्मक सूची (डिस्क्रप्टिव लिस्ट्स) है।

जम्मू ओर काश्मीर

यद्यपि एक भण्डार गृह जम्मू में सन् 1928 से अस्तित्व में था तथापि श्री नगर में सेण्ट्रल रिकार्ड आफिस की स्थापना 1951 में हुई थी। एक क्षेत्रीय भण्डारगृह लेह में भी है। इस अभिलेखागार के अभिलेखों का कुल संग्रह 1,000,000 फाइलें और अभिलेख तथा 1,500 नक्शे हैं। कालक्रमानुसार 1724-1975 तक विस्तृत यह अभिलेख पर्शियन, डोगरी, इंगलिश, तिब्बती आदि में बहुभाषी है। यहां पर 1950 से पूर्व के सचिवालय अभिलेखों की 22 खण्डों में सूचियां हैं। इसकी अपनी इमारत है।

कर्नाटक

मूलरूप से भूतपूर्व मैसूर रजवाड़े के सेक्रेटेरियट रिकार्ड आफिस के रूप में कार्य-

रत कर्नाटक राजकीय अभिलेखागार की स्थापना 1973 में हुई थी। लम्बाई में 25600 फीट शेल्फ स्थान के अभिलेख यह अभी तक अधिग्रहण कर चुका है। इसके संग्रह में 1799 पूर्व से 1956 तक की अवधि के सरकारी अभिलेखों का संकलन है। इसने महत्वपूर्ण देशीय भाषाओं के अभिलेख का कैटलाग, 1804 से 91 तक की सरकारी कार्यवाहियों से संबंधित महत्वपूर्ण संकलन और अनेकों सूचियां प्रकाशित की हैं।

केरल

ट्रावनकोर और कोचीन रजवाड़ों के दो रेकार्ड आफिस क्रमश: 1887 और 1909 से अस्तित्व में थे। किन्तु केरल राजकीय अभिलेखागार विभाग त्रिवेन्द्रम में 1962 में स्थापित किया गया। यह त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम और कोझीकोडे के तीन क्षेत्रीय कार्यालयों में समन्वय स्थापित करता है। तीनों भंडारगृहों के कुल संग्रह में 45000 बण्डल, 33,641 ग्रन्थ और 40,987 अभिलेखों के पन्ने हैं। यह अभिलेख 1625 से 1956 तक की लम्बी अवधि में विस्तृत है। सूचियों, अभिलेख संकलनों और इन्डेक्सों के अतिरिक्त केरल राजकीय अभिलेखागार ने एक संक्षिप्त निर्देशिका (समरी गाइड) भी प्रकाशित की है।

मध्य प्रदेश

राजकीय अभिलेखागार की स्थापना भोपाल में 1975 में हुई थी। इसका संग्रह भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर और रीवा के भूतपूर्व रजवाड़ों और भूतपूर्व मध्य प्रदेश एवं बरार की सरकारों के अभिलेखों से निर्मित है। यह अभिलेख 80,000 फीट की लंबाई के शेल्फ स्थान घेरे हुए हैं।

महाराष्ट्र

बम्बई में रिकार्ड आफिस की स्थापना 1821 में हुई थी। इसके अभिलेख 30,000 वर्ग फीट के शेल्फ स्थान में संग्रहीत हैं। इसके पूना, कोल्हापुर और औरंगाबाद में तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके संग्रह में सन् 1646 ई० के प्राचीन अभिलेख हैं और तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं। (अ) फैक्टरी रिकार्ड्स (1646-1809), (ब) रेजीडेंसी रिकार्ड्स (1744-1828) और (स) 1775 से आगे तक के सेक्रेटेरियट रिकार्ड्स। इसने अनेकों खोज सामग्रियां और अभिलेख संकलन प्रकाशित किये हैं। पूना के भंडारग्रह में, जो एलीनेशन आफिस के नाम से जाना जाता

है, पेशवा की सरकारों, सतारा के राजाओं और इनाम कमीशन से संबंधित 350,000 अभिलेख उपलब्ध हैं।

मणिपुर

मणिपुर राज्य ने हाल ही में एक राजकीय अभिलेखागार की स्थापना की है। जिसका संगठन हो रहा है।

उड़ीसा

भुवनेश्वर में स्थित, उड़ीसा राजकीय अभिलेखागार सन् 1946 में स्थापित किया गया था। इसके संग्रह में 766,147 अभिलेख, 3,587 बन्डल, 607 फाइलें और 200 से ऊपर नक्शे हैं। इसमें कलैक्टरी और विभागीय अभिलेख, मुगलों और मराठों के प्राच्य भाषा में अभिलेख तथा 1803 से 1967 तक के व्यक्तिगत अभिलेख संग्रहीत हैं। इसने उड़ीसा अभिलेख निर्देशिका (गाइड टू ओड़िसा रेकार्ड्स) पांच खंडों में प्रकाशित किया है। इसकी अपनी क्रियात्मक इमारत है और फोटो डुप्लीकेशन सेवायें अभी हाल में ही प्रारम्भ की हैं।

पंजाब

राजकीय अभिलेखागार की स्थापना शिमला में 1948 में हुई थी तथा उसका स्थानान्तरण 1959 में पटियाला कर दिया गया। राजकीय अभिलेखागार ने 254,000 अभिलेखों, 1,925 बन्डलों और 21,140 फाइलों का अधिग्रहण किया है। राजकीय अभिलेखागार में भेजे गए अभिलेख 1811–1947 की अवधि से संबंधित हैं। इनमें सरकारी अभिलेख और दो व्यक्तिगत प्रपत्र संग्रह सम्मिलित हैं। राजकीय अभिलेखागार द्वारा गाइड टु दि पंजाब स्टेट आर्काइव्ज, हैंडबुक आफ पटियाला यूनियन रेकार्ड्स तथा कुछ सूचियां और कैटलाग प्रकाशित किये गये हैं।

राजस्थान

राजस्थान के भूतपूर्व रजवाड़ों के रेकार्ड आफिसों का एकीकरण करके 1955 में राजस्थान राजकीय अभिलेखागार की स्थापना जयपुर मुख्यालय में की गई थी। 1960 में इसका बीकानेर में अपनी इमारत में स्थानान्तरण कर दिया गया। इसके

अधिकार में उन्नीस भूतपूर्व रजवाड़ों के अप्रचलित अभिलेख हैं जिनकी संख्या 9,542,428 पन्ने हैं। इसके अंतरिम भंडारगृह जयपुर, उदयपुर, जोधपुर कोटा और अलवर में हैं। इन अभिलेखों का कालक्रम 1635 से 1948 तक है और इनकी मुख्य श्रृंखला राजस्थानी और पर्शियन में है। इसने अनेकों संक्षिप्त खोज सामग्रियां, विवरणात्मक सूचियां (डिस्क्रिप्टिव लिस्ट्स) और राजस्थान स्टेट आर्काइव्ज : ऐन इन्ट्रोडक्शन नामक पुस्तक प्रकाशित की है।

सिक्किम

जनवरी 1977 में स्थापित इसका राजकीय अभिलेखागार अभी भी निर्माणावस्था में है।

तमिलनाडु

मद्रास रेकार्ड आफिस की स्थापना 1806 में हुई थी। अपनी अलग इमारत में इतका 1909 में केन्द्रीय भंडारगृह के रूप में पुनर्गठन हुआ। इसका संग्रह 47,332 फीट की लम्बी शेल्फ स्पेस में रखा गया है। इसके अधिकार में ब्रिटिश रेकार्ड्स की सबसे पुरानी श्रृंखआ 1670 ई० पूर्व की है। यद्यपि इसके पास सोलहवीं शताब्दी के डच रेकार्ड्स और सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के डेनिश रिकार्ड्स भी हैं। तैंतीस सचिवालय विभागों के अभिलेखों के अतिरिक्त इसके पास तंजौर राज रिकार्ड्स(1738 83,) चर्च रेकार्ड्स (1739-1882) और कुछ नक्शे और मानचित्र (1764-1884) भी है। ए गाइड टु रिकार्डस प्रिज़र्व्ड इन दि मद्रास रिकार्ड आफिस का प्रकाशन 1936 में हुआ था। बड़ी संख्या में केट्लाग्स, प्रेस लिस्ट्स, कैलेन्डर्स और 419 खंडों में अभिलेखों का विस्तृत संकलन भी प्रकाशित किया गया है।

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद में 1949 में स्थापित, उ० प्र० राजकीय अभिलेखागार ने अपना मुख्यालय 1973 में लखनऊ स्थानान्तरित किया। इसके इलाहाबाद, वाराणसी और नैनीताल में क्षेत्रीय भंडारगृह हैं तथा इलाहाबाद में एक पाण्डुलिपियों का पुस्तकालय है। इसके संग्रह में 200,000 फाइलें, 15,000 जिल्दें और 2000 बन्डल हैं जो 1800-1917 की अवधि के हैं। इसने निर्देशिकाएं, कैट्लाग्स, प्रेस लिस्ट्स सूचियां और कैलेन्डर्स तैयार किए हैं तथा अभी तक अभिलेखों पर आधारित 26 प्रकाशन निकाले हैं। इसके पास एक सुव्यस्थित माइक्रोफिलम एकक है।

पश्चिमी बंगाल

बंगाल प्रेजीडेंसी का एक जनरल रिकार्ड आफिस कलकत्ता में 1829 में स्थापित हुआ था। यह पश्चिमी बंगाल का राजकीय अभिलेखागार 1961 में बना। इसका संग्रह दो भागों में विभाजित है :

(1) 1901 तक के अभिलेखों का ऐतिहासिक विभाग और (2) 1902 से आगे का राइटर्स बिल्डिंग में प्रचिलित विभाग। इस राजकीय अभिलेखागार का संग्रह 2,514,800 अभिलेखों और 45,466 जिल्दों से परिपूर्ण है जो 22,113 फीट लम्बी शेल्फ स्पेस में रखा हुआ है तथा 1756 ई० पूर्व तक का है। राजकीय अभिलेखागार ने 'ए गाइड टु दि रिकार्ड्स इन दि स्टेट आकाईव्ज़ आफ दि वेस्ट बंगाल' दा भागों में और अनेकों निर्देशिकाएं, कैटलाग्स तथा इन्डेक्सेज प्रकाशित किये हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र

दिल्ली

सन् 1972 में स्थापित दिल्ली केन्द्रीय क्षेत्र के राजकीय अभिलेखागार में चीफ कमिश्नर और उसके अधीनस्थ विभागों के 1858 के पूर्व के अभिलेख उपलब्ध हैं तथा पर्याप्त संख्या में व्यक्तिगत प्रपत्र भी हैं। इसके पास 50000 फाइलें और अभिलेख अधिकार में हैं।

गोवा

पणजी में ऐतिहासिक अभिलेखों का निदेशालय, जो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख संग्रहालय है, पुर्तगालियों द्वारा 1595 में स्थापित किया गया था और इसका आधुनिक रूप इसे 1952 में प्राप्त हुआ। इसके अधिकार में अभिलेखों की 60000 जिल्दें हैं जो अधिकांशतः पुर्तगाली भाषा में है। यहां के अभिलेखों की शृंखला 224 है। यह राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, वित्त, नौसेना, सैनिक, शैक्षिक और कूटनीतिक विषयों पर है। गोवा अभिलेखागार में वैदिक साहित्य पर कतिपय संस्कृत की पाण्डुलिपियां और धर्मशास्त्र भी उपलब्ध हैं। इसने तीन खंडों में निर्देशिकाएं, अनेकों

सूचियां और अभिलेखों के संकलन प्रकाशित किए हैं। इसकी अपनी इमारत है जिसमें और वृद्धि की जा रही है।

★ ★ ★

उपरोक्त तथ्यों से आपको ज्ञात हुआ होगा कि बहुत लघुरूप में प्रारम्भ करके अभिलेखागारों ने एक लम्बा रास्ता तय किया है जो तीसरी दुनिया के देशों में अत्यधिक प्रगतिशील माने जाने लगे हैं। भारतीय अभिलेखपालों की दक्षता की मांग न केवल अफ्रीकी-एशियाई देशों में है अपितु इन्टरनेशनल काउंसिल आन आर्काइव्ज और यूनेस्को द्वारा भी है। यद्यपि संतोष करने के पर्याप्त कारण हैं तथापि भारतीय अभिलेखपालों को पूर्ण संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक प्रशासन में अभिलेखों को सम्मिलित करने, सर्वसाधारण में अभिलेखों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और अपने देश में अभिलेखपालन को पूर्ण मान्यता प्राप्त व्यवसाय बनाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखीय नीति के निर्माण की दिशा में बहुत कुछ करना शेष है।

●

परिशिष्ट I

इम्पीरीयल रिकार्ड डिपार्टमेंट/भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अध्यक्ष*

अफसर का नाम	कार्यकाल	विवरण
1. जी॰ डब्ल्यू॰ फारेस्ट	1891-1900	
2. एस॰ सी॰ हिल	1900-1902	
3. सी॰ आर॰ विल्सन	1902-1904	
4. एन॰ एल॰ हालवर्ड	1904-1905	
5. ई॰ डी॰ रॉस	1905-1914	
6. ए॰ एफ॰ शोफील्ड	1914-1919	
7. आर॰ एच॰ ब्लैकर	1919-1920	
8. जे॰ एम॰ मित्र	1920-1922	
9. ए॰एफ॰एम॰ अब्दुल अली	1922-1938	सी॰ सिंगर फरवरी 1938 से सात माह तक स्थानापन्न रहे।
10. एस॰ एन॰ सेन	1939-1949	
11. डा॰ पी॰ बासू (स्थानापन्न)	1949-1951	डा॰ श्रीमती बीना चटर्जी, अवर सचिव, शिक्षा मंत्रालय 13 जून 1951 से 7 फरवरी 1952 तक स्थानापन्न रहीं।
12. डा॰ बी॰ ए॰ सेलेटोर	1952-1957	1. श्री आर॰ सी॰ गुप्त, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक निदेशक ने 8 फरवरी 1957 से 8 सितम्बर 1957 तक विभागीय अध्यक्ष का भार संभाला। 2. डा॰ तपन राय चौधरी, अभिलेखागार के उप-निदेशक 9 सितंबर 1957 से 14 सितंबर 1958 तक स्थानापन्न रहे।
13. के॰ डी॰ भार्गव	1958-1960	
14. एस॰ राय (स्थानापन्न)	1960-1962	
15. के॰ डी॰ भार्गव	1962-1969	
16. डा॰ एस॰ एन॰ प्रसाद	1969-1979	
17. एस॰ ए॰ आई॰ तिरमिजी	1979 से अब तक	

*निम्नलिखित व्यक्तियों ने समय-समय पर 6 महीने से कम समय तक कार्यभार संभाला—जे॰ मेकफारलेन, ई॰ डी॰ रॉस, एच॰ जी॰ ग्रेब्ज, एच॰ ब्लाटन, ए॰ एफ॰ शोफील्ड, के॰ के॰ दत्त, के॰ बोस, पी॰ एन॰ किरपाल, जी॰ के॰ चांदीरमानी, आर॰ सी॰ गुप्त और एस॰ ए॰ आई॰ तिरमिजी।

परिशिष्ट II

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों का स्थान

I. कमेटी आन आर्काइवल डेवपलमेंट		
1. श्री एस० ए० आई० तिरमिजी	निदेशक अभिलेखागार	सदस्य
2. डा० एन० एच० कुलकर्णी	सहायक निदेशक अभिलेखागार	दक्षिण और पश्चिम एशिया के लिए क्षेत्रीय संवाददाता।
3. श्री एन० आर० आर० चारी	उप-निदेशक अभिलेखागार	भारत के लिए अनुरूप सदस्य
II. कमेटी फार बिजनेस आर्काइव्ज		
1. श्री एम० एल अहलूवालिया	उप-निदेशक अभिलेखागार	सदस्य
III. कमेटी आन कन्जरवेशन		
1. श्री वाई० पी० कठपालिया	विज्ञान अधिकारी	अध्यक्ष
IV. कमेटी फार माइक्रोफिलिंमग		
1. श्री आर० सी० गुप्त	उप-निदेशक अभिलेखागार	भारत के लिए अनुरूप सदस्य।
V. कमेटी फार प्रोफेशनल ट्रेनिंग		
1. श्री आर० सी० गुप्त	उप-निदेशक अभिलेखागार	सदस्य
VI. कमेटी फार सिगिलोग्रैफी		
1. श्री एस० ए० आई० तिरमिजी	निदेशक, अभिलेखागार	सदस्य
	आर्काइवम	
कु० डी० जी० केशवानी	विशेष कार्य अधिकारी (यूनेस्को में डेपूटेशन पर)	भारत के लिए अनुरूप सदस्य।
	साउथ एण्ड एशियन रीजनल ब्रांच	
1. डा० एन० एच० कुलकर्णी	सहायक निदेशक अभिलेखागार	महासचिव
2. श्री रणवीर किशोर	सहायक निदेशक अभिलेखागार	कोषाध्यक्ष
	यूनेस्को	
रीजनल कोआर्डिनेटिंग ब्यूरो फार गाइड टु सोर्सेज आफ एशियन हिस्ट्री		
श्री एस० ए० आई० तिरमिजी	निदेशक अभिलेखागार	उपाध्यक्ष

परिशिष्ट III

भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का संगठनात्मक चित्र

भारत सरकार में प्रशासनिक मंत्रालय	शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग।
मुख्यालय	नई दिल्ली।
क्षेत्रीय कार्यालय	1. भोपाल (मध्यप्रदेश)
	2. जयपुर (राजस्थान)
	3. पाण्डिचेरी
राष्ट्रीय पन्जी राज्य केन्द्र	भुवनेश्वर (उड़ीसा)
अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान	नई दिल्ली
वरिष्ठ व्यावसायिक कर्मचारी	
अभिलेख निदेशक	विभागीय अध्यक्ष
उप अभिलेख निदेशक	तीन
विशिष्ट कार्य अधिकारी	एक "स्वतन्त्रता की ओर" परियोजना के लिए।
चीफ आफ कंजरवेशन	एक
सहायक अभिलेख निदेशक :	
संग्रह, अनुसंधान और संदर्भ	एक
प्रकाशन	एक
प्राच्य अभिलेख	एक
अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान	एक
'स्वतन्त्रता की ओर' परियोजना	चार
अभिलेख प्रबन्ध	तीन
रिप्रोग्रैफी	एक
परिरक्षण	एक
जयपुर केन्द्र	एक
भोपाल (कीपर आफ रिकार्ड्स)	एक

उपरोक्त कर्मचारी वैज्ञानिक अधिकारियों, माइक्रोफोटोग्राफिस्टों और पुस्तकालयाध्यक्षों के अतिरिक्त एक बहुत बड़े अभिलेखपालों के वर्ग द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। प्रशासनाधिकारी के साथ यहां पर एक प्रशासनिक अंग और सहायक अभियंता के साथ संयंत्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए कर्मशाला भी है। कर्मचारियों की कुल संख्या 565 है।

तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार, मद्रास

पंजाब राज्य अभिलेखागार, पटियाला

उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ

आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार, हैदराबाद

गोंडल्स प्रेस